



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223974
CG-DL-E-29122020-223974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942

No. 372]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

(ओआई मामला सं. 17/2019)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलीथीलीन टैरिफथलेट (पीईटी रेसिन)" के आयातों पर पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/24/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात पाटनरोधी नियमावली अथवा एडी नियमावली के रूप में संदर्भित) के संबंध में:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि मैसर्स आईवीएल धनसेरि पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (इसके पश्चात आवेदकों अथवा याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के रूप में संदर्भित) ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. (इसके पश्चात संबद्ध देश के रूप में भी संदर्भित) इसके पश्चात संबद्ध वस्तुओं अथवा

विचाराधीन उत्पाद के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. और जबकि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत् पुष्टि किए गए आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के किसी कथित पाटन के मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा जिसे अगर लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा की सिफारिश करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 की फाइल संख्या 6/24/2019-डीजीटीआर के माध्यम से पाटनरोधी जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 को आम नोटिस जारी किया।
- ग. प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 की जांच की शुरुआत संबंधी सूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत कराएं।
- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति भी उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ इसे भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
 - (i) जियांगसु सनफैनसियांग ग्रुप कं. लि.
 - (ii) झेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स कं. लि.
 - (iii) फार ईस्टर्न इंडस्ट्रीज (संघाई) लि.
 - (iv) ड्रैगन स्पेशल रेसिन (जियामेन) कं. लि.
 - (v) गुआंगडोंग आईवीएल पेट पोलीमर कं., लि.
 - (vi) झोंगजिन इंडस्ट्री कं. लि.
 - (vii) चांगझोऊ हेंगकी प्लास्टिक्सल कं. लि.
 - (viii) चेनगोल्ड
 - (ix) चोंगकिंग पेंगई
 - (x) ड्रैगन स्पेशल रेसिन
 - (xi) फोशन फेमस पोलीमर मैटिरियल्स कं. लि.

- (xii) गुआंगडोंग आईवीएल पेट पोलीमर कं. लि. (इंडोरामा वेंचर्स)
- (xiii) हेनन लोंगु कोल केमिकल कं. लि.
- (xiv) झेजियांग झेनबंग केमिकल फाइबर कं. लि.
- (xv) जियांगसु सेनफंगजियांग ग्रुप
- (xvi) माओमिंग पैट्रोकेमिकल कंपनी
- (xvii) झेजियांग यिशेंग पैट्रोकेमिकल कं. लि.
- (xviii) सिनोपेक यिझेंग केमिकल फाइबर क. लि.
- (xix) टोंगकुन ग्रुप कं. लि.
- (xx) हेनन झोंगफु इंडस्ट्रियल कं. लि
- (xxi) झेजियांग झेंगकई
- (xxii) युहुआ पोलिस्टर कं. लि.

छ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया अथवा निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

- (i) जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मैटेरियल्स कं. लि.
- (ii) चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन) पैट्रोकेमिकल कं. लि.
- (iii) झेंगजियांग वानकई न्यू मैटेरियल्स
- (iv) जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं. लि.
- (v) जियांगयिन जिंगयु न्यू मैटेरियल कं. लि.
- (vi) जियांगसु कनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.

ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

- (i) गुआला क्लोजर्स इंडिया प्राइवेट लि.
- (ii) पेपसिको इंडिया होल्डिंग प्रा. लि.
- (iii) सनराइज कन्टेनर्स लि.
- (iv) एएसबी इंटरनेशनल प्रा. लि.
- (v) स्टारपेट ट्रेडिंग प्रा. लि.
- (vi) मद्रास हार्डटूल्स प्रा. लि.
- (vii) साईकृपा पोलीमर्स कारपोरेशन
- (viii) एस एस पोलीमर्स
- (ix) विनय प्लास्टिक्स
- (x) केतुल केम प्रा. लि.

झ. मद्रास हाल्ट प्रा. लि. और भारतीय प्लास्टिक संघ द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

- ज. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना संख्या 01/2020 दिनांक 10.04.2020 (31.12.2020 तक बढ़ायी गयी) के माध्यम से निर्धारित तरीके से पारस्परिक आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस दस्तावेज में प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- ट. जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के आयातों का लेन-देन बार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) को अनुरोध किया गया जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है। प्राधिकारी द्वारा प्राप्त डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का विश्लेषण कर दिया गया है और यह पाया गया है कि प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण में और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विश्लेषण में कोई खास अंतर नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग के साथ बातचीत विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के विचारार्थ लेन-देन वार आंकड़ों के संबंध में नहीं की जा सकी, अतः प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण के लिए आयातों की मात्रा और पहुँच के परिकलन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण पर विश्वास किया है।
- ठ. सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी के नियमावली के अनुबंध 3 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उचित लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (इसके पश्चात “एनआईपी” के रूप में संदर्भित) तय किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ड. नियमावली के नियम क(घ) में निहित प्रावधान के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत का राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 04.09.2020 की शुद्धिपत्र अधिसूचना के साथ दिनांक 05.08.2020 को प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए और केंद्र सरकार द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की।
- ढ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 04.12.2020 को एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार देने के लिए अवसर प्रदान किया जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें। पक्षकारों के यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध एकत्रित करें और उन्हें उसके बाद अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार ने संबद्ध जांच पूरी करने और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित करने के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक जांच के लिए समयावधि के विस्तार की अनुमति प्रदान की है।
- ण. सभी हितबद्ध पक्षकारों को 17.12.2020 को टिप्पणियां, यदि कोई हैं, दायर करने के लिए दिए गए उपयुक्त समय के साथ ई-मेल के माध्यम से गोपनीय रुपांतर के साथ प्रकटन विवरण (एनसीवी) दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में ले लिया गया है।
- त. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा स्थल पर दौरा और तालिका के अध्ययन के द्वारा आवश्यक सीमा तक किया गया था। आवश्यक संशोधनों के साथ केवल इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर संबद्ध जांच के उद्देश्य से जहां भी लागू हुआ, विचार किया गया है।
- थ. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2018 से जून, 2019 (09 माह) है। क्षति की अवधि में 2016-17, 2017-18 2018-2019 और जांच की अवधि अतिरिक्त रूप से शामिल है।
- द. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध जहां भी संगत पाए गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इस दस्तावेज में हल कर दिए गए हैं।
- ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई

सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।

- न. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना तक पहुंच दिये जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसे रिकॉर्ड किया है।
- प. प्राधिकारी ने प्रकटन पश्चात टिप्पणियों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और उठाए गए सभी तर्कों पर उस सीमा तक विचार किया है जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य है और उसे वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।
- फ. इस दस्तावेज में “****” गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार से मांगी गई सूचना का द्योतक है।
- ब. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि (अक्तूबर, 2018 से जून, 2019) के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.79 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

- (i) विचाराधीन उत्पाद रिसाइकल किए गए पीईटी रेसिन को छोड़कर "0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम अथवा उससे अधिक की अंतर्निहित विसकोसिटी वाला पोलिथीलीन टैरिफफेलेट रेसिन" के रूप में परिभाषित वर्जिन बोटल-ग्रेड पोलिथीलीन टैरिफफेलेट (पीईटी) रेसिन है।
- (ii) संबद्ध सामान मूल रूप से कोड 39076010 और 39076020 के तहत वर्गीकृत थे। 02 फरवरी, 2017 को उत्पाद का वर्गीकरण 39076100 और 39076910 में बदल दिया गया था और 1 जनवरी, 2020 से इस वर्गीकरण को फिर 39076190 और 39076990 में बदल दिया गया था।

ग.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

4. विचाराधीन उत्पाद जैसा कि जांच की शुरुआत की सूचना में उल्लेख किया गया है "0.72 डेसीलीटर प्रतिग्राम अथवा उससे अधिक के अंतर्निहित विसकोसिटी वाला "पोलीथीलीन टैरिफफेलेट रेसिन" के रूप में परिभाषित "वर्जिन पोलिथीलीन टैरिफफेलेट रेसिन (पीईटी) रेसिन" है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में रिसाइकल किया हुआ पीईटी रेसिन शामिल नहीं है। पीईटी रेसिन का उपयोग प्रीफोम्स के निर्माण के लिए किया जाता है जिसे इसके बाद खनिज जल, कार्बोनेटेड साफ्ट ड्रिंक, खाद्य तेल, फार्मास्युटिकल उत्पाद आदि के लिए जार और पीईटी बोटल में परिवर्तित किया जाता है।

5. 2 फरवरी, 2017 के पहले संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण कोड 39076010 और 39076020 के अंतर्गत किए जाने योग्य था। 2 फरवरी, 2017 से, इस उत्पाद का वर्गीकरण बदल कर 39076100 और 39076910 में कर दिया गया था। एक जनवरी, 2020 को इस वर्गीकरण को आगे परिवर्तित कर 39076190 और 39076990 में कर दिया गया था। सीमा शुल्क वर्गीकरण और यह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

6. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र पर विचार किया है जिसे जांच की शुरुआत के समय परिभाषित किया गया था।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

7. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- (i) याचिकाकर्ता अर्थात मैसर्स आईवीएल धनसेरि पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं और उनका भारत में घरेलू उत्पादन का 91 प्रतिशत उत्पादन है।
- (ii) आईवीएल धनसेरि एक निर्यातक गुआंगडोंग आईवीएल पीईटी पॉलीमर कं. लि. से संबद्ध है, परंतु उस पर नियंत्रण अथवा विवेकाधिकार रखने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि मै. आईवीएल धनसेरि पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. अप्रत्यक्ष रूप से चीन से उत्पादक से संबंधित है फिर भी इस प्रकार के उत्पादक द्वारा निर्यातों की मात्रा संबद्ध देश से कुल आयातों और याचिकाकर्ता के उत्पादन और बिक्री तथा भारत में मांग की तुलना में मामूली है। कंपनी द्वारा आयात उनके कुल उत्पादन के 1 प्रतिशत से कम हैं। इस कारण से उत्पादक को उस रूप में माना जाना चाहिए कि वह घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है।
- (iii) आईवीएल धनसेरि को हटाना क्षति विक्षेपण को कम करना होगा क्योंकि उसका उत्पादन में काफी हिस्सा है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

8. घरेलू उद्योग अर्थात आईवीएल धनसेरि पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (आईवीएल धनसेरि) चीन में एक उत्पादक अर्थात गुआंगडोंग आईवीएल पीईटी पॉलीमर कं. लि. से संबद्ध है और चीन के उपर्युक्त उत्पादक ने भी जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और यह वर्तमान जांच में आईवीएल धनसेरि को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से हटाने का पर्याप्त आधार है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

10. यह आवेदन आईवीएल धनसेरि पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। मै. आईवीएल धनसेरि पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. कथित पाटित वस्तुओं के एक निर्यातक अर्थात मै. गुआंगडोंग आईवीएल पीईटी पॉलीमर लि. से संबंधित है। हालांकि, संबंधित निर्यातक द्वारा निर्यातों की मामूली मात्रा पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के आशय से मै. आईवीएल धनसेरि पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना है।

11. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का हिस्सा कुल पात्र घरेलू उत्पादन का 91% है। इस कारण से आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह आवेदन नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

12. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) निर्यातक द्वारा दावा की गई गोपनीयता असंबद्ध निर्यातक के नामों तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के संबंध में अत्यधिक है।
- (ii) निर्यातक ने विनिर्माण प्रक्रिया, कच्ची सामग्री के नाम, संबद्ध पक्षकार की सूचना और कुल पीवीआईटी की प्रवृत्तियां प्रकट न कर व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है।
- (iii) घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के प्रकट न होने के संबंध में, व्यापार सूचना संख्या 7/2018 के तहत वचनबद्धता प्रस्तुत की है और इस प्रकार इन आंकड़ों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

- (iv) निर्मित सामान्य मूल्य के मद-वार ब्यौरों को प्रकट करने से घरेलू उद्योग की अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा तथा उनके अपने हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (v) निर्यात कीमत में किए गए समायजनों का साक्ष्य प्राधिकारी द्वारा पहले ही दे दिया गया है।
- (vi) मात्रा तथा लाभप्रदता के मानदंड घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना है। इसके अतिरिक्त, ये मानदंड सूची रूप में दिए गए हैं।
- (vii) क्षतिरहित कीमत पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित की गई है तथा इसके लिए और किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त आंकड़े गोपनीय होने के कारण प्रयुक्त नहीं किए जा सकते।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

13. याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों, निर्मित सामान्य मूल्य के मद-वार ब्यौरों, निर्यात कीमत में किए गए समायोजनों के साक्ष्य, मात्रात्मक मानदंडों और निवेश पर आय तथा प्रतिशत संदर्भ में लाभप्रदता के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो कानून में अनुमति योग्य नहीं है और हितबद्ध पक्षकारों के हितों का संरक्षण करने वाले प्रभावी अनुरोध करने के लिए उन्हें उपयुक्त अवसर न देना है।

14. वर्तमान याचिका/अद्यतन याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अपर्याप्त सूचना प्रदान करने के लिए 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10 द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2003 (158) ईएलटी 673 (एससी) और यूरोपीय समुदाय में डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय – चीन से कतिपय लौह अथवा स्टील फास्टनर्स पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भावना के विरुद्ध भी है।

15. याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य, आरएंडडी खर्चों, क्षति रहित कीमत के परिकलन आदि जैसे कई मानदंडों के संबंध में याचिका में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

16. इस प्रकार, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया याचिकाकर्ताओं को उपर्युक्त कारकों के संबंध में संगत व्यापार सूचना का पालन करने का और आवश्यक सूचना देने का निर्देश दें। जब तक उपर्युक्त सूचना, जो कि क्षति तथा कारणात्मक संपर्क निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है, उपलब्ध नहीं कराई जाती, हितबद्ध पक्षकार अपने हित प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि याचिकाकर्ता समय से उपर्युक्त कमियों को ठीक करने में विफल रहते हैं, तो जांच तत्काल रद्द की जानी चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को नियम 6(7) तथा व्यापार सूचना संख्या 01/2020 (प्राधिकारी द्वारा 31.12.2020 तक बढ़ाए गए अनुसार) के साथ पठित दिनांक सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार सार्वजनिक फाइल के माध्यम से कराया गया था।

18. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक देशों से भारत को आयातों की मात्रा और मूल्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के साथ आंकड़े साझा किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने लेन-देन वार आयात आंकड़ों की पूरी सूची उपलब्ध कराई है। यह भी नोट किया जाता है कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से स्वतंत्र रूप से आंकड़े प्राप्त कर सकता है और उन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपना दावा दर्ज कर सकता है। प्राधिकारी मानते हैं कि आयात आंकड़े साझा करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 07/2018 में उल्लिखित की गई है। इसमें यह प्रावधान है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा जिन छांटे गए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया गया है, वे हार्ड कॉपी में साझे किए जा सकते हैं और (ii) हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से लेन-देन के आयात आंकड़ों द्वारा कच्चे लेन-देन की मांग करने के लिए प्राधिकारी से प्राधिकार की मांग कर सकते हैं। छांटे गए आयात आंकड़ों की हार्ड कॉपी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार घोषणा/वचनबद्धता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को पहुँच के लिए उपलब्ध कराई गई थी। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए अनुरोध

किया था और व्यापार सूचना 07/2018 के अनुसार वचनबद्धता दी थी, उन्हें डीजीसीआईएंडएस एक्सल फाइल में आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राधिकार भी प्रदान किया गया था। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब अपनाई जा रही प्रक्रिया सतत, सभी पक्षकारों और जांचों में एक समान है तथा हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

20. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत अनंतिम शुल्क न लगाए जाने का अर्थ प्राथमिक जांच परिणामों में लिए गए निष्कर्ष अनुपयुक्त होना नहीं है। कई मामलों में अंतिम जांच परिणाम प्राथमिक जांच परिणाम न होने पर भी कार्यान्वित किए गए थे।
- (ii) इस संबंध में तर्कों का उत्तर देते हुए यह अनुरोध किया गया था कि 9 माह की जांच की अवधि काफी पाटन के कारण उपर्युक्त अवधि के दौरान आयातों में नाटकीय वृद्धि के कारण उपयुक्त है। प्राधिकारी ने यह जांच की अवधि विगत में भी मानी है।
- (iii) पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में है क्योंकि इससे अंतिम उत्पाद की लागत केवल 0.001 प्रतिशत से 0.34 प्रतिशत तक बढ़ेगी और घरेलू उद्योग की पाटन से सुरक्षा करेगी।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) 09 माह की जांच की अवधि मानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन परिपाटियों की नियम पुस्तक के पैरा 5.4 में यह प्रावधान है कि 12 माह से कम की अवधि पर केवल अपवादात्मक और दुर्लभ मामलों में ही विचार किया जा सकता है।
- (ii) वस्तुतः याचिकाकर्ता ने उत्पाद, निष्पादन में नाटकीय प्रवृत्तियों का दावा करते हुए 6 माह की अवधि प्रस्तावित की जिसे अपवादात्मक अथवा दुर्लभ परिस्थिति नहीं माना जा सकता।
- (iii) यहां तक कि यद्यपि माननीय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार 6 माह की अवधि पर विचार नहीं किया है, तथापि प्राधिकारी ने 12 माह की सामान्य जांच की अवधि के विरुद्ध 9 माह की जांच की अवधि पर विचार करने के अपने कारणों का उल्लेख भी नहीं किया है। 9 माह की जांच की अवधि मानने के लिए प्राथमिक जांच परिणामों में भी कोई विश्लेषण अथवा कारण नहीं दिए गए हैं।
- (iv) 5 अगस्त, 2020 को जारी प्राथमिक जांच परिणामों में सिफारिश किए गए अनंतिम शुल्क न लगाया जाना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार तथाकथित पाटन से संबंधित प्राथमिक जांच परिणामों में लिए गए निष्कर्षों और विश्लेषण से सहमत नहीं है।
- (v) याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि असाधारण लेन-देन उच्च कीमत के लेन-देन के लिए समझे गए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से हटा दिए गए हैं, लेकिन उस आधार का उल्लेख नहीं किया गया है जिस पर उन लेन-देनों को असामान्य वर्गीकृत किया गया है। उच्च कीमत के लेन-देनों को हटाने का मतलब उन्हें शून्य करना है जिसकी कानून में अनुमति नहीं है।
- (vi) प्राथमिक जांच परिणाम में निष्कर्ष जांच की अवधि के आंकड़ों और पूर्व वर्ष के आंकड़ों के बीच शेष क्षति अवधि पर ध्यान न देते हुए तुलना के आधार पर किये गये हैं और यदि यह तो कैसे निष्कर्ष निकालने गए

हैं, फिर चार वर्ष के क्षतिकारकों के ब्यौरे मांगने का कोई अर्थ नहीं है। इसके बजाए, दो वर्ष के ब्यौरे पर्याप्त होंगे।

- (vii) इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में बिक्री और उत्पादन में गिरावट का निष्कर्ष प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 64(घ) में पूर्व वर्ष के आधार पर किया गया है और पुनः इसे वस्तुपरक जांच नहीं माना जा सकता। माननीय प्राधिकारी द्वारा वस्तुपरक जांच का अभाव आगे प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 64(ड) और 86(ग) में दर्शाया गया है जिसमें बाजार शेयर में गिरावट का निष्कर्ष सरसरी विश्लेषण के आधार पर रिकार्ड किया गया है। कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती घरेलू उद्योग को क्षति के कारक नहीं हैं और क्षति न होने का निष्कर्ष इन कारकों के आधार पर ही लिया जा सकता है। जैसा कि ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (270) ई.एल.टी. 696 (ट्राई – डेल.) में सेसटेट द्वारा भी माना गया है और माननीय प्राधिकारी द्वारा जिप्सम प्लास्टर बोर्ड (फा. सं. – 7/8/2017-डीजीएडी) के मामले में अपनाया गया है।
- (viii) मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में प्राथमिक जांच परिणाम में निष्कर्ष संदिग्ध हैं और स्पष्ट नहीं हैं।
- (ix) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा सिद्ध करने के लिए दिया गया साक्ष्य तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि अनुमानों और सुदूर प्रचार पर आधारित आरोप हैं और घरेलू उद्योग को क्षति स्पष्ट रूप से देखी जाने वाली तथा आसन्न नहीं है।
- (x) चीन में अतिरिक्त क्षमताओं के ब्यौरे प्राथमिक जांच परिणाम में केवल विवरणों के रूप में हल नहीं किए गए हैं और वे यह प्रकट नहीं करते कि ये क्षमताएं घरेलू उद्योग/याचिकाकर्ताओं को क्षति पहुँचाने के लिए भारत में कैसे भेजे जा सकती हैं।
- (xi) संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना द्वारा व्यापार उपचार उपायों के प्रयोग के दावों का अभिप्राय उन देशों पर आयातों के प्रतिबंध से नहीं है और वे यह भी स्पष्ट नहीं करते कि वे भारत को कैसे भेजे जा सकते हैं। अतः वे केवल दूर की संभावना दर्शाते हैं न कि वास्तविक स्थिति।
- (xii) भारत के चीन के लिए संबद्ध सामानों के सबसे बड़े निर्यात बाजार होने का विवरण यह स्पष्ट नहीं करता कि वह घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे के लिए एक कारक है।
- (xiii) बिक्री कीमत तथा आयात कीमतों में वृद्धि का खुद यह अभिप्राय है कि घरेलू कीमतों पर कोई न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव नहीं है और इसीलिए भविष्य में उसकी कोई संभावना नहीं हो सकती।
- (xiv) घरेलू उद्योग की मालसूची का अनुबंध-2 में सूचीबद्ध कारक होने के बावजूद वास्तविक क्षति का खतरा सिद्ध करने के लिए विश्लेषण नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग की मालसूची में पिछले तीन वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है जिसका अभिप्राय यह है कि वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है।
- (xv) वास्तविक क्षति का खतरा तब सिद्ध किया जा सकता है जब सभी सूचीबद्ध कारक खतरे के सकारात्मक जांच परिणाम दर्शाएं जो स्थिति वर्तमान जांच में नहीं है।
- (xvi) निर्दिष्ट प्राधिकारी अनंतिम शुल्क लगाने के प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए जाने के लिए उपयुक्त कारण अथवा उनकी आवश्यकता देने में विफल रहे हैं, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 के तहत अपेक्षित है।
- (xvii) इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 7.1 में भी यह प्रावधान है कि पाटनरोधी शुल्क अनंतिम रूप से लगाए जाने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे आवश्यकता अथवा वे तथ्य दर्शाएं जो यह बताएं कि जांच के दौरान हो रही क्षति को रोकने के लिए अनंतिम उपाय आवश्यक होंगे। वर्तमान मामले में इसका पालन नहीं किया गया है।
- (xviii) चैनगोल्ड ग्रुप ने 09 दिसंबर, 2019 को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के लिए पूरक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। अतः चैनगोल्ड ग्रुप का सामान्य मूल्य गृह बाजार में चैनगोल्ड ग्रुप द्वारा की गई बिक्री के आधार

पर निर्धारित किया जाना चाहिए। परंतु प्राधिकारी ने प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 2 में चैनगोल्ड ग्रुप को बाजार व्यवहार प्रदान नहीं किया है।

- (xix) उत्पादक ने अनुरोध किया कि उत्पादक की घरेलू निर्माण एवं बिक्री लागत तथा घरेलू बिक्री कीमत चीन में विदेशी मुद्रा परिवर्तन दरों में किसी प्रकार (आरोपित) छेड़छाड़ से पूर्णतः अप्रभावित है जिससे उत्पादकों के सामान्य मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं है, विशेष रूप से चूंकि उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान किसी प्रमुख कच्ची सामग्री अथवा इनपुट का आयात नहीं किया।
- (xx) उत्पादकों ने अनुरोध किया कि उनकी मूल कंपनी मैसर्स जियांगिन चेंगिंग्स इंडस्ट्रियल ग्रुप कं. लि. न तो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी है और न ही बिक्री में। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अनुरोध किया कि उत्पादकों के बोर्ड सदस्य अपने प्रचालन दैनिक आधार पर करते हैं और मूल कंपनी के शेयरधारकों के साथ उनका कोई अतिव्यापन नहीं है।
- (xxi) उत्पादकों ने अनुरोध किया कि सिनोपेक न तो उत्पादकों के लिए विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है और न ही उत्पादकों के विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए न तो कोई कच्ची सामग्री की आपूर्ति करता है न किसी अन्य इनपुट की आपूर्ति करता है।
- (xxii) "नेशनल टॉर्च प्रोजेक्ट" के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया साक्ष्य 2013 (लगभग) का प्रतीत होता है जो कि उत्पादकों के शामिल होने की समयावधि से पूर्व का है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया साक्ष्य पूर्णतः असंगत और पुराना है तथा इसीलिए रद्द किए जाने योग्य है।
- (xxiii) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे चैनगोल्ड ग्रुप को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करें, दायर प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर चैनगोल्ड ग्रुप के लिए अलग मार्जिन निर्धारित करें और अंतिम जांच परिणाम जारी करने के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति के अभाव में चैनगोल्ड ग्रुप के अनुरोधों पर विचार करें।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है तथा किए गए सभी अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच की।

23. अंतिम शुल्क न लगाए जाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 4 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करें, पाटनरोधी शुल्क के लिए जिम्मेदार वस्तु की पहचान करें, केंद्र सरकार को पाटन और क्षति के संबंध में जांच परिणाम प्रस्तुत करें और पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाए और जिससे घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त होगी, की सिफारिश करें। यह निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है कि वे शुल्क लगाए जाने हैं अथवा नहीं। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की है और इस बात पर ध्यान न देते हुए कि केंद्र सरकार उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करती है अथवा नहीं, वर्तमान जांच के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके समक्ष लाए गए तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जांच परिणाम रिकार्ड करेंगे।

24. जांच की अवधि के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर 6 से 18 माह हो सकती है। वर्तमान मामले में, यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के रूप में 6 माह की अवधि प्रस्तावित की, तथापि 9 माह की अवधि वर्तमान जांच के लिए उपयुक्त मानी गई थी क्योंकि बहुत छोटी समयावधि में आयातों में काफी वृद्धि हुई थी। आयातों में तेजी से वृद्धि, इस अवधि में काफी पाटन और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए 9 माह की जांच की अवधि वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मानी गई थी।

पाटन का मूल्यांकन – सिद्धांत एवं मानदंड

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

25. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

- क. केवल दिसंबर, 2016 तक अनुच्छेद 15(क) के उपयोग के लिए व्यवस्था वाले चीन के आरोहण संबंधी प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रावधान के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां चीन में उद्योग में प्रचलित है।
- ख. यदि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हों तो चीन में संबद्ध वस्तुओं की लागत का निर्धारण उचित लाभ के साथ भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर अवश्य किया जाना चाहिए।
- ग. याचिकाकर्ता ने सीआईएफ कीमत ली है और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पोर्ट संबंधी खर्च, अंतरदेशीय भाड़े और मूल्यवर्धित कर में अंतर से संबंधित समायोजन किया है।
- घ. संबद्ध देश के लिए परिकलन की गई पाटन मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है।

26. निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निम्नलिखित कारणों से बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे की अनुमति नहीं दी जा सकती:

- (i) चीन में विदेशी मुद्रा दरें सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं, न कि बाजार दरों के अनुसार जो कि उसकी मुद्रा के हाल के कम मूल्यांकन से सिद्ध है।
- (ii) धारक कंपनी जियांगिन चेंगिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप कं. लि. ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- (iii) चैनगोल्ड पैकेजिंग ने पीईटी प्रोजेक्ट्स के संबंध में सिनोपेक सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाला तेल एवं उद्यम के साथ एक कार्यनीतिक सहयोग करार किया है जिससे उत्पादन लागत में ह्रास हो सकता है।
- (iv) चेंगिंग ग्रुप उच्च तकनीकी उद्यम प्रोत्साहित करने के लिए गठित "नेशनल टॉर्च प्रोजेक्ट" सहित विभिन्न सरकारी अनुसंधान पहलों का भाग रहा है और सरकार से अवसंरचनात्मक तथा प्रौद्योगिकीय सहायता प्राप्त कर रहा है।
- (v) जियांगसू सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि., जियांगिन जिंगसू न्यू मैटेरियल कं. लि. और जियांगसू जिंगो प्लास्टिक्स कं. लि. (सनफाक्जियांग ग्रुप) ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य उनकी बिक्री के आधार पर है, परंतु वे बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का उत्तर दायर करने में विफल रहे हैं। यूएस डीओसी ने भी निर्यातक के स्तर की जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि यह ग्रुप बाजार अर्थव्यवस्था शर्तों के तहत प्रचालन नहीं कर रहा है।
- (vi) झेजियांग वंकाई न्यू मैटेरियल्स कं. लि. की लागतों और कीमतों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों की मौजूदगी सिद्ध नहीं की।
- (vii) सनफेम ग्रुप, जियांगिन जिंगताई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड, जियांगिन जिंगजिया प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड, और जियांगसू जिंगी पॉलीटेक कंपनी लिमिटेड के समन्वित उत्पादकों ने जांच में भाग नहीं लिया है।
- (viii) सनफाक्जियांग ग्रुप ने एक असंबद्ध निर्यातक के माध्यम से निर्यात किया जिसने उत्तर दायर नहीं किए हैं और इसीलिए बिक्री चैनल अपूर्ण है।
- (ix) जियांगसू सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड और जियांगिन जिंगसू न्यू मैटेरियल द्वारा प्रकट किया गया वितरण चैनल सही नहीं है क्योंकि उसके संबंध में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में विरोधाभासी विवरण दिए गए हैं।

27. सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन उपयुक्त लाभ सहित घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राधिकारी की घरेलू उत्पादकों में न्यूनतम उत्पादन लागत लेने की वर्तमान परिपाटी उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह नहीं माना जाना चाहिए कि चीन में उत्पादक सबसे दक्ष उत्पादन लागत पर अपने संयंत्रों का प्रचालन कर रहे हैं।

28. याचिकाकर्ता ने सीआईएफ कीमत ली है और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा और वैट अंतर से संबंधित समायोजन किए हैं।

29. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत जब तक उत्पादक/निर्यातक यह सिद्ध न करें कि वे बाजार व्यवहार स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं, तब तक उनकी घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने फ्लोरोलेस्टोमर्स इलेक्ट्रॉनिक कैल्कुलेटर मेटाफिनाइलिन डायमिन, नायलॉन मल्टी फिलामेंट यार्न, फ्लैट बेस्ड स्टील व्हील्स और इलैक्ट्रिक इंसुलेटर्स जैसे विभिन्न जांच परिणामों में अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) की समाप्ति के बाद भी चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है।

30. चीन में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करना उपयुक्त है क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों की कीमतों के संबंध में सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी। उत्पादकों/निर्यातकों ने मौखिक सुनवाई के समय इसके संबंध में न तो कोई आपत्ति उठाई है और न ही सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए किसी उपयुक्त तीसरे देश को सिद्ध किया है।

31. आईसीआईएस रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए अनुसार भारत में दी गई कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य नहीं माना जा सकता क्योंकि भारत में वास्तविक कीमत पाटित आयातों के कारण पहले ही न्यूनीकृत और ह्रासमान है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

32. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य एसजीए खर्चों के लिए उचित समायोजन के साथ माने गए और उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत की दर पर उपयुक्त लाभ के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है जो कि कानून के अनुसार नहीं है। इसे चीन के जीएएपी के अनुसार रखे गए संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री और लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि चीनी अभिगम नयाचार के पैरा 15(क)(ii) के तहत परिकल्पित 15 वर्षों की अवधि 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई और कोई भी प्रावधान चीन के व्यवहार को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में अनुमति नहीं देता।

33. भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उस पर केवल तभी विश्वास किया जा सकता है जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में सूचना उपलब्ध न हो। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को संगत सूचना का उत्तर देने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने हेतु बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करने की सूचना देना अपेक्षित था अथवा याचिकाकर्ता ने हितबद्ध पक्षकारों को तीसरे देश के चयन के संबंध में एक सूचना देनी चाहिए थी अथवा हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध करना चाहिए था कि वे एक तीसरे पक्षकार के संबंध में सूचना बताएं, परंतु ऐसा नहीं किया गया जो कि सर्वोच्च न्यायालय के शेनयांग मत्सुशिता एस. बैटरी कं. लि. बनाम एक्सआइड कं. लि. 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) के निर्णय के असंगत है।

34. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में संबद्ध सामानों की बाजार कीमतों के आधार पर अंतर्देशीय परिवहन और सीमा शुल्क सार संभाल प्रभारों के लिए उसे समायोजित करने के बाद आईसीआईएस द्वारा प्रकाशित किए गए अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए न कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर जो कि समग्र रूप से उद्योग की प्रतिनिधि कारक नहीं है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए

नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

36. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है:

- (i) जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मैटेरियल्स कं. लि.
- (ii) चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन) पैट्रोकेमिकल कं. लि.
- (iii) झेंगजियांग वानकई न्यू मैटेरियल्स
- (iv) जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं. लि.
- (v) जियांगयिन जिंगयु न्यू मैटेरियल कं. लि.
- (vi) जियांगसु कनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.

37. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना से संबंधित निम्नलिखित संगत प्रावधानों को भी नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत प्रावधान नीचे दिए गए अनुसार है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयवधि प्रदान की जाएगी।”

8. (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन

लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

38. जांच की शुरुआत के संबंध में, प्राधिकारी ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चीन जन. गण. को मानते हुए इस अनुमान के साथ कार्यवाही की। जांच की शुरुआत किए जाने पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत से संबंधित सूचना का उत्तर दिए जाने के संबंध में सलाह दी और इस तथ्य के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े/सूचना सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्यसे लिए जा सकते हैं। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

39. विश्व व्यापार संगठन में चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(iii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं; उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

40. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन का एक्सेसर प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (2) के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गए हैं, एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में एमईटी दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. के छोड़कर, चीन जन. गण. के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव/पूरक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इन अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार विवेचना किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने बाद के पैराओं में यथा स्पष्ट किए गए कारणों से जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. को बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव नहीं देने के लिए अनंतिम रूप से निर्धारित किया है।

छ.4 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

छ.4.1 जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. का एमईटी दर्जा का मूल्यांकन और इसके सामान्य मूल्य की गणना।

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. ने पूरक बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव (एमईटी) उत्तर प्रस्तुत कर बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा किया है।

42. वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैं जियांगवेन चैनसिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप लि. (चैनसिंग ग्रुप) जो जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. को नियंत्रित करता है, ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। एमईटी के दावे का उत्तर निर्णय करने, खरीद की लागत और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (3) के अंतर्गत निर्यातक की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत किया गया अपूर्ण उत्तर जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की व्यापक जांच और सिद्ध करने में सक्षम नहीं बना सकता है। इस कारण से प्राधिकारी ने जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. जिन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा किया है सहित बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव के लिए योग्य न होने के रूप में चीन जन. गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर विचार करने के लिए विचार किया है।

43. इस कारण से सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के आधार पर किया गया है। तदनुसार प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में निर्धारित पदानुक्रम के अनुसार सामान्य मूल्य की संरचना के विकल्प की तलाश की जिसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित अन्य देशों को इस प्रकार के तीसरे देश से कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा अथवा जहां यह संभव नहीं हो वहां किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर जिसमें तमाम उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य कीमत जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यकता होने पर विधिवत समायोजित किया गया हो, के आधार पर किया जाना चाहिए।

44. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश अथवा भारत सहित अन्य देशों को इस प्रकार के तीसरे देश से कीमत में संरचित मूल्य अथवा कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमत या भारत सहित अन्य देशों को इस कार के तीसरे देश से कीमत के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई सूचना नहीं है अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण उसके आधार पर नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध 1 के पैरा 7 के संबंध में भारत में भुगतान की गई कीमत अथवा किए जाने योग्य कीमत के आधार पर निर्धारण किया गया है। इस कारण से प्राधिकारी ने 5 प्रतिशत की दर से उचित लाभ मार्जिन को जोड़ने के साथ बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च के लिए विधिवत समायोजित भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस प्रकार से संरचित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ. 4.2 सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क. चैनसिंग ग्रुप

45. जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिकल कं. लि., चैनसिंग ग्रुप की सहायक कंपनी सूचीबद्ध कंपनियां हैं और वे संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्रियों में लगे हुए हैं। जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल कं. लि. दोनों ने चीन में अपनी घरेलू बिक्री के आधार पर "सामान्य मूल्य" की गणना करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा किया है। उपर्युक्त दोनों कंपनियां प्रमुख साझा शेयर होल्डर अर्थात् मै. जियांगवेन चैनसिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप कंपनी लि. के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। प्राधिकारी ने समग्र ग्रुप के लिए उत्तर को पूरा करने तथा उत्पादन की लागत के संबंध में कुछ पूरक आंकड़े भी देने के लिए साझा शेयर होल्डर के वास्ते निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु उत्पादक/निर्यातक समूह से अनुरोध किया। उत्पादक/निर्यातक ने यह कहा है कि मूल कंपनी विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल नहीं हैं तथा निर्यातक एवं उनकी मूल कंपनी के लिए निर्धारित क्रियाकलापों के क्षेत्र के बीच स्पष्ट अंतर है और यह दर्शाया गया है कि मूल कंपनी का विचाराधीन उत्पाद के लिए पृथक और असंबंधित प्रचालन है। उत्पादक/निर्यातक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका उल्लेख उनके द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए समूह की विश्वव्यापी संरचना के भाग के रूप में भी किया गया था। इस कारण से चूंकि मूल कंपनी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल नहीं है तथा निर्यातक की निदेशक बोर्ड में बोर्ड के सदस्यों के रूप में मूल कंपनी के किसी शेयर होल्डर के न होने के कारण इस कंपनी पर इसके पृथक उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

46. प्राधिकारी शेयर होल्डिंग कंपनी के द्वारा एक पृथक उत्तर के बिना एमईटी के लिए अपने उत्तर पर विचार करते हुए उत्पादक/निर्यातक के अनुरोधों को नोट करने के बाद यह मानते हैं कि संबंधित कंपनियों के मामले में "सामान्य मूल्य" का मूल्यांकन समूह के लिए समग्र रूप में किया जाता है। उस मामले में जहां एमईटी के दर्जे का दावा समूह की संबंधित कंपनियों द्वारा किया जाता है, तब पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8 में निर्धारित मानदंडों को व्यापक रूप से समग्र समूह के लिए पूरा किया जाना अपेक्षित है और इस कारण से समूह का पूर्ण उत्तर आवश्यक है। इसके अलावा, उत्पादक/निर्यातक से यह अनुरोध किया गया था कि वे उत्पादन की लागत संबंधी ब्यौरे जो उसमें नहीं दिया गया था और जिसे उन्होंने हाल में उपलब्ध कराया है, उपलब्ध कराएं। हालांकि बाजार संकेतों के अनुसार एक दूसरे को प्रभावित किए बिना कच्चे माल और यूटिलिटी की खरीद कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण से प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से उत्पादक समूह को एमईटी और अलग-अलग सामान्य मूल्य देने पर विचार नहीं किया है।

क. सामान्य मूल्य

47. ऊपर में किए गए उल्लेख के अनुसार जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा किया है। बूटास चैनसिंग समूह ने ऊपर में किए गए अनुसार निदेशालय द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. के बाजार अर्थव्यवस्था का इस चरण में स्वीकार नहीं किया जाता है। सामान्य मूल्य की संरचना ***यूएस डालर/मी. टन के रूप में की गई है, जैसाकि पैरा 23 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

48. जांच की अवधि के दौरान, जियांगवेन चैन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. ने संबद्ध वस्तुओं का *** मी. टन निर्यात किया है। निर्यातकों ने कारखानागत कीमत का निर्धारण करने में व्यापारी द्वारा समुद्री बीमा, कमीशन, पोत परिवहन लागत और लाभ के आधार पर समायोजनों का दावा

किया है। जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. द्वारा आवश्यक समायोजनों के पश्चात् निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के भारत औसत कारखानागत मूल्य की गणना *** यूएस डॉलर प्रति मी. टन के रूप में की गई है। पहुंच मूल्य की गणना *** यूएस डॉलर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

ख. **जेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लि. का सामान्य मूल्य**

(क) सामान्य मूल्य

49. उत्पादक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा नहीं किया है और तदनुसार ऊपर में दिए गए विवरण के अनुसार अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। सामान्य मूल्य की संरचना ऊपर पैरा 23 में किए गए उल्लेख के अनुसार *** डॉलर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

(ख) निर्यात कीमत

50. जांच की अवधि के दौरान, जेजियांग वांगकाई न्यू मैटिरियल्स कं. लि. ने भारत को संबद्ध वस्तु का 22748 मी. टन का निर्यात किया है। निर्यातक ने निर्यातक कीमत के निर्धारण में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, ऋण लागत, बैंक प्रभार और पत्तन व्यय के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। संबद्ध वस्तुओं के कारखानागत निर्यात कीमत निर्यात द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समायोजनों की अनुमति देते हुए *** प्रति मी. टन होता है। पहुंच मूल्य की गणना *** प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

ग. **जियांगसु जिंगवे प्लास्टिक कं. लि., जियांगविन जिंगव्यू न्यू मैटिरियल कं. लि. और जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.**

(क) सामान्य मूल्य

51. उपर्युक्त तीन संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा नहीं किया है और तदनुसार उपर्युक्त पैरा 23 में दिए गए अनुसार अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। सामान्य मूल्य की संरचना *** डॉलर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

(ख) निर्यात कीमत

52. जांच की अवधि के दौरान, जियांगसु जिंगवे प्लास्टिक कं. लि., जियांगविन जिंगव्यू न्यू मैटिरियल कं. लि. और जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. ने भारत को प्रत्यक्ष रूप से तथा एक असंबंधित निर्यातक के माध्यम से *** मी. टन की सीमा तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। निर्यात कीमत के निर्धारण में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पोर्ट संबंधी खर्च, बैंक प्रभार, ऋण लागत और गैर प्रतिदाय मूल्यवर्धित कर जहां भी खर्च हुआ हो, के आधार पर निर्यातकों ने समायोजन का दावा किया है। संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखानागत निर्यात कीमत निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देते हुए *** यूएस डॉलर प्रति मी. टन होता है। पहुंच मूल्य की गणना *** डॉलर प्रति मी. टन के रूप में की गई है।

छ.5. गैर सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

53. चीन जन. गण. के अन्य गैर सहयोगी निर्यातकों के निर्यात मूल्य/निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों के लिए जांच किए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है:

छ.6. पाटन मार्जिन का निर्धारण

54. संबद्ध वस्तुओं के लिए, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का अनंतिम रूप से निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य(डा./प्रति.मी. टन)	निर्यात कीमत (डा./प्रति.मी. टन)	पाटन मार्जिन (डा./प्रति.मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (% रेंज)
1.	जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन पैट्रोकेमिकल्स कं. लि.	***	***	***	***	20-40
2.	जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं. लि., जियांगयिन जियांगयु न्यू मैटिरियल कं. लि. और जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.	***	***	***	***	0-20
3.	झेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स	***	***	***	***	0-20
4.	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-40

ज. क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संपर्क

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध/विचार

55. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि के दौरान पूर्ण दृष्टि से और तुलनात्मक दृष्टि से बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों में मांग की तुलना में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई है।
- ग. कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि के दौरा 61 प्रतिशत से 94 प्रतिशत हो गया है।
- घ. संबद्ध आयातों के कारण जांच की अवधि में कीमत में कटौती में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हो रही है।
- ङ. पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और क्षति रहित कीमत से कम है।
- च. लागत वही रहने के बावजूद याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए मजबूर हो गया था। इस कारण से आयातों का याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।
- छ. घरेलू क्षमता में वृद्धि के बावजूद संबद्ध आयातों की तुलना में घरेलू उत्पादन में कमी आई है।
- ज. जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, यह मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं हुआ है।

- झ. उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में 2018-19 तक वृद्धि हुई, परंतु वह वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। इन मानदंडों में जांच की अवधि में गिरावट आई।
- ञ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान 80 प्रतिशत से गिरकर 64 प्रतिशत हो गया।
- ट. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के लाभ में 2017-18 में वृद्धि हुई परन्तु बाद की अवधि में इसमें तेजी से गिरावट आई। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में गिरावट आई है।
- ठ. जबकि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग उत्पादन और बिक्री के मामले में सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहा है, इस प्रकार की वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं है। इसके अलावा, इसकी स्थिति में जांच की अवधि में बाजार हिस्से, लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश के मामले में गिरावट आई है।
- ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम मांग, कम प्रचालन दरों के कारण 2016-17 में कम थी जिससे उच्च निर्धारित लागतें हुईं। मांग में वृद्धि से लाभप्रदता में वृद्धि हुई।
- ढ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर ब्याज कवरेज अनुपात में गिरावट के साथ प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

56. वास्तविक क्षति का खतरा है क्योंकि:

- (i) संबद्ध आयातों में वृद्धि की दर अन्य आयातों में वृद्धि की अपेक्षा अधिक है।
- (ii) चीन में अधिशेष क्षमताएं हैं और इसके अतिरिक्त क्षमता विस्तार योजना है। चीनी निर्यातकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं उनके घरेलू बाजार में मांग में वृद्धि की अपेक्षा उच्च दर पर बढ़ी हैं।
- (iii) चीन से निर्यातों पर अन्य अधिकार क्षेत्रों में पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगते हैं। तीसरे देशों द्वारा व्यापार उपचार उपाय लगाने से उन देशों में संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि होगी। जिससे ये आयात भारत को भेजे जाएंगे और घरेलू उद्योग को और क्षति होगी।
- (iv) चीनी उत्पादकों की अनुचित व्यापारिक परिपाटियां लगाने की प्रवृत्ति है।
- (v) भारत चीन में निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि भारत को निर्यात किसी भी अन्य देश को निर्यात से अधिक है।
- (vi) यदि पाटन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो निर्यातों की कीमत और गिर जाएगी जिससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

57. संबद्ध सामानों के लिए मांग, अन्य देशों से आयात व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यात निष्पादन, घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों की उत्पादकता तथा निष्पादन जैसे किसी अन्य ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

58. घरेलू उद्योग को कम मांग के कारण पूर्व में क्षति हुई थी, परंतु उस क्षति को यह सुनिश्चित करने के लिए अलग किया गया है कि यह संबद्ध आयातों के कारण नहीं है।

59. घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों के कारण है क्योंकि:

- (i) भारत में कम कीमत के आयातों की मांग पाटन के कारण बढ़ी है।
- (ii) संबद्ध आयात पूर्ण दृष्टि से और तुलनात्मक दृष्टि से बढ़े हैं।
- (iii) कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा बढ़ा और संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को ले लिया है।
- (iv) कीमत कटौती सकारात्मक है।
- (v) संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव था जिससे लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई।

60. भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन तथा निपटान करने के लिए निर्यातों पर विश्वास करना है। यहां तक कि यद्यपि वह घरेलू बिक्री की तुलना में निर्यातों पर काफी कम लाभ अर्जित करे।
61. चीन से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई, परंतु दूसरे देशों से उसमें गिरावट आई।
62. डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़े लेन-देनों से अलग करने के लिए छांटे गए हैं, जो विचाराधीन उत्पाद के परिभाषित क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं और इन आयातों की कीमत इस छंटाई में असंगत है।
63. प्राधिकारी को पर्याप्त क्षेत्राधिकार पर विश्वास करते हुए केवल सकारात्मक कीमत कटौती और क्षति मार्जिन पर विचार करना चाहिए।
64. घरेलू उद्योग की लागतों में कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण 2018-19 में वृद्धि हुई। तथापि, कच्ची सामग्री की इस बढ़ी हुई लागत को आयात कीमतों में नहीं दर्शाया गया है जो कि घरेलू उद्योग की कीमतों से कम बनी हुई है और इस प्रकार उसने उसकी लाभप्रदता, नकद प्रवाह और निवेश पर आय प्रभावित की है।
65. क्षति निर्धारित करने के लिए कम कीमत पर बिक्री एक मात्र कारक है और यहां तक कि यदि उसकी अनदेखी की जाए तो सभी शेष मानदंड गिरावट दर्शाते हैं जिसका अभिप्राय घरेलू उद्योग को क्षति से है।
66. इस संबंध में तर्कों का उत्तर देते हुए यह अनुरोध किया गया था कि अनुबंध-2 के तहत अपेक्षित मालसूची की जांच संबद्ध देशों में उत्पादकों की मालसूची से संबंधित है न कि घरेलू उद्योग की मालसूची से। अनुबंध-2 में केवल वास्तविक क्षति का खतरा निर्धारित करने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों की व्यापक सूची का प्रावधान है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सभी कारक खतरे के सकारात्मक परिणाम दर्शाएं ही।
- ज.2 निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/व्यापारियों के अनुरोध**
67. याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से असामान्य लेन-देन को अलग किया है जो कि उच्च कीमत के लेन-देनों को हटाने के अलावा कुछ नहीं है और यह उसे शून्य करना है जिसकी कानून में अनुमति नहीं है।
68. कई मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है क्योंकि कोई कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास नहीं है, कीमत कटौती और लाभप्रदता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अब भी लाभ में है और मालसूची क्षति की अवधि में गिरावट दर्शाती है।
69. अनंतिम जांच परिणामों का पैरा 55 यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता अब भी लाभ की स्थिति में हैं और लगभग उसी स्तर पर हैं जिस पर क्षति की अवधि के आधार वर्ष में थे।
70. इसके अतिरिक्त, अनंतिम जांच परिणामों का पैरा 59 यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं की मालसूची में जांच की अवधि में गिरावट आई है जो क्षति का अभाव दर्शाते हैं।
71. इसके अतिरिक्त, यह बात दोहराई जाती है कि प्राथमिक जांच परिणाम में ऐसी किसी बात की जांच नहीं की जाती कि याचिकाकर्ताओं को जांच की अवधि के दौरान क्षति होने की संभावना कैसे है।
72. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति का खतरा नहीं हो रहा है और उनके दावों की माननीय प्राधिकारी द्वारा वस्तुपरक रूप से जांच नहीं की गई है।
73. घरेलू उद्योग पर आयातों का कोई कीमत संबंधी प्रभाव नहीं था क्योंकि घरेलू कीमतों में क्षति की अवधि में 26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, जबकि आयात कीमतों में 33 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और इस प्रकार कीमत कटौती का विक्षेपण निरर्थक है।
74. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में क्षति की अवधि में काफी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग 110 प्रतिशत तक अपनी क्षमता का अधिक उपयोग करने में सक्षम था।
75. यह मानना कठिन है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट अधिक उपयोग में लाई गई क्षमताओं और घटती हुई मालसूची के मद्देनजर हुआ है जिसका अभिप्राय यह है कि घरेलू उद्योग ने वस्तुतः अपनी बिक्री अथवा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमता नहीं है।

76. कोई कीमत ह्रास नहीं हो सकता क्योंकि घरेलू उद्योग क्षति की अवधि में अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम था और ऐसी स्थिति में कीमत कटौती का विश्लेषण निरर्थक है।
77. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद प्रवाह और निवेश पर आय घरेलू उद्योग की मजदूरी की लागत, मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि के कारण प्रभावित हुई है जिसके लिए आयातों को कोई कारण नहीं कहा जा सकता तथा उसकी लागत में वृद्धि के संबंध में कोई कारण घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि को अलग किए जाने की आवश्यकता है और आयातों के परिणामस्वरूप क्षति के प्रभाव से अलग देखे जाने की आवश्यकता है।
78. घरेलू उद्योग ने 2016-17 में लाभ अर्जित किए और नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय सकारात्मक थी और जबकि घरेलू उद्योग की लागत में 25 प्रतिशत तक, बिक्री कीमत में 26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और नियत लागत में क्षति की अवधि में गिरावट आई। तथापि, बिक्री की बढ़ती हुई कीमत के बावजूद लाभ में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों में अशुद्धता तथा विरोधाभास दर्शाते हैं और इसीलिए वस्तुपरक जांच की आवश्यकता की जरूरत है।
79. कम कीमत पर बिक्री घरेलू उद्योग को न तो क्षति के कारक हैं और न ही संबद्ध आयातों के कारण है, परंतु अन्य कारकों के कारण हो सकता है और इस प्रकार जांच ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2011 (270) ई.एल.टी. 696 (ट्राई – डेल.) में सेसटेट द्वारा माने गए अनुसार जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के मामले में प्राधिकारी द्वारा माने गए अनुसार रद्द किए जाने योग्य है।
80. मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में प्राथमिक जांच परिणामों के संबंध में निष्कर्ष संदिग्ध हैं और स्पष्ट नहीं हैं।
81. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा सिद्ध करने के लिए दिया गया साक्ष्य तथ्यों पर आधारित नहीं है बल्कि अनुमान एवं सुदूर संभावना पर आधारित आरोप हैं।
82. प्राथमिक जांच परिणाम में हल की गई अतिरिक्त क्षमताएं यह प्रकट नहीं करती हैं कि ये क्षमताएं कैसे भारत को क्षति पहुँचाने के लिए भेजी जा सकती हैं।
83. संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना द्वारा व्यापार उपचार उपायों के प्रयोग का अभिप्राय उन देशों को आयातों का प्रतिबंध तथा उन्हें भारत को भेजना नहीं है।
84. भारत चीन के लिए संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार होने के नाते घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा सिद्ध नहीं करता।
85. बढ़ती हुई बिक्री कीमत और आयात कीमतें बताती हैं कि घरेलू कीमतों पर कोई न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव नहीं है और भविष्य में इसके होने की कोई संभावना नहीं हो सकती।
86. घरेलू उद्योग की मालसूची का विश्लेषण अनुबंध-II में सूचीबद्ध कारक होने के नाते उसके बावजूद वास्तविक क्षति का खतरा सिद्ध करने के लिए नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग की मालसूची में काफी गिरावट आई है जिसका अभिप्राय वास्तविक क्षति के खतरे से नहीं है।
87. वास्तविक क्षति का खतरा तब सिद्ध किया जा सकता है जब सभी सूचीबद्ध कारक खतरे के सकारात्मक जांच परिणाम दर्शाएं जो स्थिति वर्तमान जांच में नहीं है।
88. घरेलू कीमतों पर संबद्ध आयातों द्वारा किसी कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग को क्षति के पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथाकथित पाटन एवं क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क मौजूद नहीं है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
90. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले

कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

91. आयातों को अलग करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयातों पर विचार किया है और उन लेन-देनों को अलग किया है जो विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं हैं। ये छांटे गए आयात वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाए गए हैं।

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति दर्शाने वाले सभी मानदंड हास दर्शाएं। कुछ मानदंड हास दर्शा सकते हैं जबकि कुछ सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी सभी मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। इसी प्रकार, यह आवश्यक नहीं है कि अनुबंध-2 के पैरा (vii) में सूचित सभी मानदंड आगे क्षति का खतरा निकालने के लिए क्षति का खतरा दर्शाएं। इसके बजाए, पैरा (vii) के प्रावधान इसे पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। यह केवल कारकों की वर्णनात्मक सूची है जिस पर क्षति के खतरे के विश्लेषण के लिए विचार किया जा सकता है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आंकलन

93. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग्य के रूप में विचार किया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18-जून, 19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	122	89	118
अन्य उत्पादक	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	137	136	181
संबद्ध आयात	मी. टन	***	***	***	***	***
अन्य आयात	मी. टन	***	***	***	***	***
कुल मांग	मी. टन	8,19,671	10,47,635	10,88,175	9,02,226	12,02,968
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	133	110	147

94. यह देखा गया है कि इस उत्पाद के लिए मांग में क्षति की अवधि के दौरान सतत रूप से वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देश से आयात की मात्रा

95. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़े पर विश्वास किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18- जून, 19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
संबद्ध आयात	मी. टन	42,718	88,247	1,47,601	1,81,979	2,42,638
अन्य आयात	मी. टन	***	***	***	***	***
निम्नलिखित की तुलना में आयात						
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	185	297	497	497
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	260	387	387
कुल आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	148	154	154

96. यह देखा गया है कि:

क. संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है।

ख. संबद्ध आयातों में भी भारत में सकल आयातों, घरेलू उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

97. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमतों में वृद्धि रुकेगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निबल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

98. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य से की गई है। जबकि घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी करों, छूट, बट्टा और कमीशन की कटौती की गई है और कार्य के पूर्व स्तर पर बिक्री प्राप्ति का निर्धारण पाटित आयातों की पहुंच मूल्य से तुलना करने के लिए की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों की कटौती संबंधी प्रभाव नीचे दिए गए अनुसार तय की गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18-जून, 19)
निबल बिक्री प्राप्ति	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	135	126

पहुंच कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	138	133
कीमत में कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	14.71	11.55	11.44	8.55

99. यह देखा गया है कि संबद्ध आयात इस बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम कीमत पर हो रहे हैं। इन आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ख. कीमत न्यूनीकरण और ह्रास

100. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और यह कि इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा और कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दिए गए अनुसार की गई थी:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18-जून, 19)
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	132	125
बिक्री की कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	135	126

101. यह देखा गया है कि जबकि घरेलू उद्योग 2018-2019 तक बिक्री की लागत में वृद्धि से अधिक अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम हुआ था, बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत दोनों में जांच की अवधि में गिरावट आई। हालांकि बिक्री की कीमत में गिरावट की तुलना में बहुत अधिक थी। इन आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

102. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण और तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा पर पहुंचने के लिए संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य से की गई है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है जिसे कम कीमत पर बिक्री के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हुए नीचे तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण	यूनिट	संबद्ध देश
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	रु./मी. टन	***
पहुंच मूल्य	रु./मी. टन	85,911
क्षति मार्जिन	रु./मी. टन	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन	रेंज	0-10

103. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना में कम थी।

ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

104. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के उत्पादों का पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांक को जिसका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो और जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग शामिल हो: घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन के मार्जिन का आकार, नकद प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है, का वस्तुपरक तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

105. प्राधिकारी ने अपने अनुरोधों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और विभिन्न पक्षों पर वस्तुपरक तरीके से विचार करते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री

106. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18- जून, 19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	75	100
उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	84	111
उत्पादन – संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	114	83	110
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	114	110	110
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	122	89	118

107. यह देखा गया है कि जबकि यह क्षमता क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही है, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई है। यद्यपि वह मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं है। हालांकि जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री में गिरावट आई, यद्यपि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। जबकि मांग में 47 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 18 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

ख. बाजार का हिस्सा

108. घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा नीचे दर्शाई गई तालिका के अनुसार था।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
संबद्ध देश	%	5.21	8.42	13.56	20.17
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	260	387
अन्य देश	%	3.26	1.70	1.30	1.16
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	40	36
घरेलू उद्योग	%	80.18	75.21	73.42	64.69
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	81
अन्य उत्पादक	%	11.35	14.67	11.71	13.98
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	103	123

109. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई जबकि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उत्पादकों ने संबद्ध देश से आयातों का बाजार खो दिया है।

ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

110. घरेलू उद्योग की क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18-जून, 19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
विक्री कीमत	रु/मीटन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	135	126	126
विक्री की लागत	रु./मीटन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	132	127	127
लाभ/(हानि)	रु./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	215	211	79	79
लाभ/(हानि)	रु./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	257	256	70	94
नकद लाभ	रु./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	203	196	66	88
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	245	221	93	93

111. देखा गया कि:

- क. घरेलू उद्योग का लाभ जो 2017-18 तक बढ़ रहा था, 2018-19 में उसमें गिरावट आ गई और जांच की अवधि में वह 50 प्रतिशत से अधिक गिर गया।
- ख. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में 2017-18 तक वृद्धि हुई, 2018-19 में आंशिक गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान उसमें तेजी से गिरावट आई।
- ग. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर लाभ जां 2017-18 तक बढ़ रही थी में, 2018-19 में मामूली रूप में गिरावट आई और जांच की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में गिरावट आई।

घ. रोजगार, वेतन और उत्पादकता

112. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में नीचे दी गई सूचना की जांच की है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18- जून, 19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	97	97	97
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/ प्रति दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	111	111
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/ प्रतिदिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	118	86	115
मजदूरी	रु.लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	133	137	137
प्रति यूनिट मजदूरी	रु./मी;टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	113	121	121

113. यह देखा गया कि:-

- क. घरेलू उद्योग की कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ख. मजदूरी और प्रति यूनिट मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

घ. मालसूची

114. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18-जून, 19)
आरंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	108	86

115. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में जांच की अवधि में उत्पादन में गिरावट के साथ क्षति की अवधि के दौरान कमी आई।

च. पाटन की मात्रा

116. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन भारत में किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ. वृद्धि

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन मात्रा	%	8	6	(3)
घरेलू बिक्री मात्रा	%	20	1	(3)
प्रति यूनिट (रु./मी. टन) लाभ/(हानि)	%	142	0	(42)
नकद लाभ	%	139	(1)	(41)
नियोजित पूंजी पर आय	%	225	(9)	(47)

117. जबकि घरेलू उद्योग 2018-19 तक उत्पादन, बिक्री और क्षमता के उपयोग के संबंध में सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहा है, इन कारकों में जांच की अवधि में गिरावट आई। इसके अलावा, इसकी स्थिति जांच की अवधि में बाजार हिस्से, लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में और खराब हो गई है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

118. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। ब्याज पूर्व लाभों में गिरावट यह दर्शाता है कि पाटित आयात पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है।

झ. क्षति का समग्र आंकलन

119. उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

- क. संबद्ध आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादों और खपत दोनों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयातों के कारण याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक सीमा तक कटौती हो रही है।
- ग. संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।
- घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई परन्तु जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।
- ड. जबकि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई, संबद्ध आयातों में बहुत बड़े बाजार हिस्से को प्राप्त किया।

च. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में 2017-18 से गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान इसमें तेजी से गिरावट आई।

छ. जबकि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग मात्रा संबंधी कुछ मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहा है, जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है। इसके अलावा, लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में इसके कार्यनिष्पादन में भी गिरावट देखी गई है।

ज.3.4 वास्तविक क्षति का खतरा

120. आवेदकों ने वास्तविक क्षति के खतरे का भी दावा किया है। खतरे के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच नीचे की गई है:

क. आयातों में वृद्धि की दर

121. संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक दर पर वृद्धि हुई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
संबद्ध आयात	मी. टन	42,718	88,247	1,47,601	2,42,638
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	207	346	568
कुल मांग	मी. टन	8,19,671	10,47,635	10,88,175	12,02,968
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	133	147

ख. उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं

122. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं जिसे नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2017	2018	2019	2020	2021
क्षमता*	लाख मी. टन	78.99	94.72	102.22	125.05	133.05
उत्पादन*	लाख मी. टन	69.55	78.50	84.85	88.25	89.87
अधिशेष क्षमताएं	लाख मी. टन	9.44	16.22	17.37	36.80	43.18

*वुड मर्केजी केमिकल्स

123. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त क्षमताएं हैं।

ग. तीसरे देशों में लगाया गया व्यापार उपचार शुल्क

124. याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि यूएसए, कनाडा, ब्राजील और अर्जेन्टीना द्वारा संबद्ध वस्तुओं के चीन के आयातों के विरुद्ध लगाया गया है और यह संबद्ध देश के संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पाटन के पैटर्न को दर्शाता है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर बल दिया है कि इन निर्यातकों को इन बाजारों का बंद होना बढ़े हुए पाटन के खतरे को दर्शाता है और आगे घरेलू उद्योग को क्षति को दर्शाता है।

घ. एक बाजार के रूप में भारत की विशिष्टता

125. याचिकाकर्ताओं ने चीन के सीमा शुल्क के व्यापार संबंधी आंकड़ों का उल्लेख किया है, जो यह दर्शाता है कि भारत भी चीन के निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा एकल बाजार है। इसके अलावा, चीन जन.गण. से कुल निर्यातों में भारत के

निर्यातों का अंश अप्रैल से सितंबर, 2018 में 5 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर से दिसम्बर, 2018 में 7 प्रतिशत, जनवरी से मार्च, 2019 में 9 प्रतिशत और अप्रैल-जून, 2019 में 10 प्रतिशत हो गया है। चीन से भारत में निर्यात तीसरे देशों की तुलना में अधिक तेज गति से बढ़ रहे हैं। भारत की एक बाजार के रूप में बढ़ रही महता अपने आप ही पर्याप्त क्षति की आशंका को दर्शाती है।

ड. क्या आयात बाजार में ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर एक मंदी अथवा दमन करने का प्रभाव पड़ेगा

126. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने के साथ ही, घरेलू उद्योग पहले ही अपनी कीमतों को कम करने के लिए विवश है। निरंतर हो रही सकारात्मक कटौती होने के साथ ही, घरेलू उद्योग पहले ही अपनी कीमतों को कम करने के लिए विवश है। निरंतर हो रही सकारात्मक कटौती यह सुझाती है कि आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर आगे दमन करने अथवा मंद करने का प्रभाव पड़ने की संभावना है।

127. क्षति की आशंका के संबंध में, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है:-

- क. संबद्ध आयातों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।
- ख. चीन जन.गण. में महत्वपूर्ण अधिशेष क्षमताएं मौजूद हैं, जिनमें आगे वृद्धि होने की संभावना है।
- ग. अन्य बाजार जैसे यूएसए, कनाडा, ब्राजील और अर्जेन्टीना व्यापार उपचार के उपायों को लागू करने के कारण निर्यातकों के लिए बंद हो सकते हैं।
- घ. भारत सबसे बड़ा निर्यात बाजार होने के कारण, संबद्ध देश में निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है।
- ङ. घरेलू बाजार में आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका आगे दमन अथवा मंदी का प्रभाव पड़ने की संभावना है।

128. उपरोक्त चिन्हित कारक घरेलू उद्योग को आगे क्षति की आशंका होने के संबंध में दर्शाते हैं।

ज.4 क्षति की मात्रा और क्षति का मार्जिन

129. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुलग्नक-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षतिकारी कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पाद की लागत के संबंध में सत्यापित सूचना/डाटा को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत की गणना की गई है और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से प्रत्येक उत्पादकों/निर्यातकों से पहुंच कीमत के साथ इसकी तुलना की गई है। असहयोगी निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक	एनआईपी (अम.डा./ एम.टी.)	क्षति मार्जिन (अम.डा./ एम.टी.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
1.	जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन पैट्रोकेमिकल्स कं. लि.)	***	***	***	0-20
2.	जियांगसु जिगये प्लास्टिक कं. लि., जियांगयिन जियांगयु न्यू मैटिरियल कं. लि. और जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.	***	***	***	0-20
3.	झेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स	***	***	***	0-20
4.	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	0-20

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण

130. पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा अन्य के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करनी अपेक्षित है, जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति पाटित आयातों की वजह से न हो। ऐसे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ आयातों की मात्रा और कीमतें, जो पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई हैं, मांग में कमी अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के विदेशी व घरेलू उत्पादकों, विकासकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

131. संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति आशंका हो सके। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ख. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

132. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई पर्याप्त परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तन होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

133. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं नहीं हैं, जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।

घ. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

134. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में परिवर्तन क्षति का कोई कारण नहीं है।

ड. निर्यात निष्पादन

135. प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए डाटा पर विचार किया है। अतः घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में कोई संभव बदलाव होना घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

च. उत्पादकता

136. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः उसे इसके कारण क्षति नहीं हुई है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

137. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन के संबंध में ही डाटा पर विचार नहीं किया है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभव कारण नहीं है।

ज. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे**138. मैसर्स इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन द्वारा किए गए अनुरोधः**

क. घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित और चीन से निर्यातित पीईटी रेसिन की गुणवत्ता भौतिक और रासायनिक जैसी अनिवार्य उत्पाद विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय है, ऐसा कोई भी प्रकट अन्तर नहीं है। तथापि, गुणवत्ता मानक का पता तभी चल सकता है जब बीआईएस अथवा ऐसे समकक्ष संगठन जैसी किसी प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

ख. स्वदेशी कच्ची सामग्री के उत्पादकों द्वारा कच्ची सामग्री की आपूर्ति अनिश्चित है। घरेलू उत्पादकों द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति में भी कमी है। इसके अलावा, पीईटी रेसिन की कुछ किस्में हैं जिनका निर्माण घरेलू उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता।

ग. बड़ी कंपनियों को बड़े डिस्काउंट प्रदान किए जा रहे हैं। ये छोटी और मध्यम इकाइयों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कीमत में अन्तर छोटे और मध्यम उद्योग के खिलाफ हैं। अतः छोटे और मध्यम उद्योग चीन से कच्ची सामग्रियों का आयात करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कीमत संबंधी नीति और भुगतान की शर्तें आसान हैं।

घ. स्वदेशी कच्ची सामग्री के उत्पादकों से कोई ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह चीन से आयातों के लिए उपलब्ध हैं।

ड. हमारे सदस्यों और संघ की यह राय है कि चीन से आयातों पर किसी भी पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

139. मै. मद्रास हार्डटूल्स प्रा. लि. द्वारा किए गए अनुरोध

क. वस्तुओं के घरेलू निर्यातकों को कोई क्षति नहीं हो रही है। स्थानीय उपयोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही आयातित सामान कीमत प्रतिस्पर्धी है और गुणवत्ता में अच्छी हैं तथा आपूर्ति के लिए समय का उचित ध्यान रखा जाता है। हमारे दरवाजे पर पीईटी की पहुंच लागत कीमत में सस्ती हैं। आरआईएल सामग्री की हमेशा ही मांग रहती है और आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। उनकी शर्तें और कीमतें छोटे निर्माताओं के लिए वहन करने योग्य नहीं हैं, अतः शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई क्षति सामान्यतः एक दबाव की नीति है ताकि पीईटी बाजार में एकाधिकार बना रहे।

ख. विदेशी निर्यातक हमें आपूर्ति की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धी कीमत पर गुणवत्तापरक सामग्री प्रदान करते हैं और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एकाधिकार और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई है। तृतीयक स्तर के डीलरों और निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत से सही स्थिति उत्पन्न होगी।

ग. शिकायतकर्ता बाजार में एक काफी बड़ा भागीदार है और साथ ही वह संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भी करता है। विदेशों से पीईटी के आयातों से अबाध आपूर्ति और तुलनीय कीमतें तथा सही समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से सामग्री की लागत बढ़ेगी और स्थानीय आपूर्ति से मांग पूरी नहीं होगी। छोटे निर्माता और उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। इस प्रभाव काफी खतरनाक है। हम पाटनरोधी उपाय लागू करने के पक्ष में नहीं हैं।

घ. प्राधिकारी को पीईटी उद्योग बाजार में शोध करना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता द्वारा आपूर्ति में कटौती करके, उत्पादन को प्रभावित करके कीमतों में वृद्धि करके और छोटे व मध्यम निर्माताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके अपनाई गई विपणन पद्धति का पता चल सके। अधिकतर इकाइयां उत्पादन बंद कर देंगी जिससे भारी नुकसान होगा और बेरोजगारी होगी तथा स्वरोजगार की हानि होगी। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के बावजूद, यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाना चाहते हैं तो इसे भविष्यलक्षी प्रभाव से लगाया जाए।

ट. प्राथमिक जांच परिणाम के बाद उठाए गए प्रमुख मुद्दों की जांच

140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दिनांक 05.08.2020 के प्राथमिक जांच परिणाम के उत्तर में, हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध दायर किए और बाद में 04.12.2020 को आयोजित मौखिक सुनवाई के बाद अतिरिक्त अनुरोध किए। मैसर्स जेजियांग वंकाई न्यू मैटेरियल कं. लि., चीन, मैसर्स जियांगिम जिंग्यू न्यू मैटेरियल कंपनी लि., चीन, मैसर्स जियांगसू सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि., चीन और मैसर्स जियांगसू जिंगे प्लास्टिक कं. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाले चीन मैसर्स ट्रेको लीगल एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे सामान्य मूल्य के सिद्धांत, घरेलू उद्योग के आधार, जांच की अवधि का कार्यकाल, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को छानने और घरेलू उद्योग को कोई क्षति न होने से संबंधित हैं। मैसर्स जियांगिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मैटेरियल्स कं. लि. और मैसर्स चाइना प्रोस्पेरिटी (जियांगिन) पैट्रोकेमिकल कं. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स ईएलपी ने मुख्य रूप से सहयोगी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) का स्तर प्रदान न किए जाने और इससे अलग मार्जिन न दिए जाने का विरोध किया है।

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कम आयात किए गए थे, जो उसके कुल उत्पादन के 1 प्रतिशत से कम थे। पाटित आयातों के कारण उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उनके प्राथमिक जांच परिणाम में उनके सहयोगी उत्पादक/निर्यातक समूहों के लिए अपनाई गई निर्यात कीमत का विरोध नहीं किया गया है।

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात संबद्ध देश से कुल आयातों के लगभग एक तिहाई हैं और पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादक/निर्यातक के आंकड़ों पर विचार किया गया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के आंकड़े उच्चतम पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन पर विचार करके संदर्भित किए गए हैं और इसीलिए डीजीसीआईएंडएस से किन्हीं आंकड़ों को विश्वसनीय रूप से छांटे न जाने का मुद्दा उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। जहां तक घरेलू उद्योग के आधार का संबंध है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा विभिन्न पाटनरोधी मामलों में इस मुद्दे पर संगत निर्णयों के अनुसार अनुरोधों पर विचार किया।

143. जहां तक क्षति का संबंध है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार सभी क्षति मानदंडों पर विचार किया। अत्यधिक गोपनीयता के अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 3(ण) की याद दिलाते हैं और मानते हैं कि गोपनीयता के मानदंड संगत नियमावली और व्यापार सूचना के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों पर बिना किसी भेदभाव के लागू किए गए हैं। जहां तक जांच की अवधि का संबंध है, इस पहलू पर पाटनरोधी फरवरी, 2020 में संशोधित कर दी गई है। प्राधिकारी ने विगत में जांच की अवधि 12 माह से कम की अवधि पर विचार किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स ट्रेको लीगल एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स ने सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्मित करने हेतु भारत में एफओबी कीमत का संदर्भ लेने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 23 की याद दिलाते हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित क्रम में कोई सूचना नहीं दी गई है। ट्रेको लीगल द्वारा किए गए अनुरोध अनुक्रम में उल्लिखित विकल्पों में नहीं आते। जहां तक मैसर्स ईएलपी द्वारा एमईटी के दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 21 में इस मुद्दे को ले लिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजीटीआर द्वारा दिनांक 03.07.2020 के मेल में उठाए गए कुछ लागत संबंधी मुद्दों और कमियों का उत्तर नहीं दिया गया है। दिनांक 16.12.2020 को उत्पादक/निर्यातक ने अपेक्षित सूचना दिए बिना दायर पूर्व में किए गए अनुबंधों का ही उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 21 में उल्लिखितानुसार धारक कंपनी मैसर्स जियांगिन चेंगसिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप कं. लि. द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दायर न करने से प्राधिकारी पूरे समूह के लिए व्यापक रूप से बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्दों का मूल्यांकन नहीं कर पाते। अतः प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में दोनों सहयोगी निर्यातक समूहों के लिए सीएनवी हेतु सिद्धांत की पुष्टि करते हैं।

144. जहां तक संबद्ध सामानों की आपूर्ति की सुपुर्दगी अनुसूची, कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के मुद्दों के बारे में अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी ने पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटी के पहलू को ही हल किया है ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान किया जा सके। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन ही सामान्यतः घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं से हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जोकि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयातों पर किसी भी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

145. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क में जांच शुरू करने और जांच किए जाने पर वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी द्वारा एकत्रित अनिवार्य तथ्य और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा सिद्ध तथ्यों को एतद्वारा हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जाता है ताकि ये हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी द्वारा एकत्रित इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणी दे सकें।

ठ. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

घरेलू उद्योग के अनुरोध

146. घरेलू उद्योग ने अधिकतर पूर्व में किए गए अनुरोध दोहराए हैं। विशेष रूप से घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया

क. मूल कंपनी के भाग न लेने के अलावा, चैनगोल्ड ग्रुप का एमईटी दावा किसी भी दशा में निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं था।

i. चीन में विदेशी मुद्रा परिवर्तन दरें सरकारी मध्यस्थता के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं न कि बाजार दरों पर। जो इस तथ्य से सिद्ध है कि चीन ने हाल ही में यू एस ए द्वारा लगाए गए प्रशुल्कों के उत्तर में अपनी मुद्रा का कम मूल्यांकन किया है।

ii. जेंनगिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने पी ई टी परियोजनाओं के लिए चीन जन.गण. में एक सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाले तेल एवं गैस उद्यम सिनोपेक के साथ एक नीतिगत सहयोग करार किया है। इससे उत्तरदाता निर्यातक की उत्पादन लागत में काफी ह्रास होगा।

iii. चैनजिंग ग्रुप "नेशनल टार्च प्रोजेक्ट" सहित विभिन्न सरकारी पहलों का एक भाग रहा है। सरकार से इस प्रकार की अवसंरचनात्मक और प्रौद्योगिकीय सहायता संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगे उत्पादकों की लागतें प्रभावित करेगी।

ख. घरेलू उद्योग की मानी गई उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का सिद्धांत उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह मानता है कि संबद्ध देश में उत्पादक अपने संयंत्रों का उत्पादन ईष्टतम स्तरों पर और कम से कम लागत पर कर रहे हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण समग्र रूप से घरेलू उद्योग की भारित औसत वास्तविक लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।

ग. बीजक के बाद के दस्तावेजों को क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए बीजक पर छूट के रूप में उसी तरीके से नहीं माना जाना चाहिए। बिक्री के समय दी गई छूट को ही उत्पादन लागत से घटाया जा सकता है।

घ. क्षति मार्जिन और कीमत कटौती केवल उन आयात लेनदेनों पर विचार करके निर्धारित की जानी चाहिए जिनकी पहुंच कीमत बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम है। यह इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता की चिंता क्षतिकारक आयातों से ही है। यह ब्राजील से पाइप फिटिंग अथवा मालेबल कास्ट आयरन ट्यूब के संबंध में यूरोपीय समुदाय-पाटनरोधी शुल्क के मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल की टिप्पणियों और कोठारी शुगर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में अधिकरण के निर्णय के अनुरूप है।

ड. भारतीय उद्योग में चार उत्पादक हैं जिसमें देश में मौजूदा मांग से काफी अधिक क्षमता है और जो देश में वर्तमान तथा भावी मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत का विजन सही माइने में पूरा होगा।

च. उत्पाद के लिए बाजार में काफी संभावना हैं और यदि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है तो भावी निवेश आकर्षित कर सकता है। विदेशी उत्पादकों की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों के विरुद्ध वर्तमान एवं भावी निवेश की सुरक्षा करने की आवश्यकता है।

छ. कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों की लागतें इस उत्पाद के लिए कुल उत्पादन लागत का लगभग 85 प्रतिशत हैं। उत्पादकों के कम मार्जिन हैं और कोई भी कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता घरेलू उत्पादकों की कीमतों और लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

ज. भारतीय उद्योग उच्च गुणवत्ता के बोटल ग्रेड पी ई सी रेजिन का उत्पादन करता है, जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा विश्वास किया जा सकता है।

झ. विचाराधीन उत्पाद की वैश्विक रूप से अधिक क्षमताएं हैं जिससे बाजार में अधिक आपूर्ति हो रही है। सीमित मांग के कारण वैश्विक बाजार में सख्त प्रतिस्पर्धा है।

ञ. कई देशों में उनकी मांग से अधिक क्षमताएं हैं। चीन जन.गण. पीईटी रेजिन उत्पादन क्षमताओं में विश्व में सबसे आगे है जिसका विश्व क्षमता में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है। विद्यमान अधिशेष क्षमताओं के बावजूद चीन में 2016-17 में क्षमताओं में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ काफी क्षमता अभिवृद्धि हुई।

ट. चीन जन.गण. में घरेलू खपत के 70 प्रतिशत तक अतिरिक्त क्षमताएं हैं। उत्पादन के लगभग 25 प्रतिशत तक के काफी निर्यातों के बाद भी चीनी उत्पादकों के सामने कम उपयोग की गई क्षमताओं की समस्या है। चीन जन.गण. में वर्तमान क्षमता उपयोग 70-75 प्रतिशत है और चीनी उत्पादक इन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए वैश्विक बाजार की ओर देखने के लिए मजबूर हैं।

ठ. अधिक क्षमताओं की स्थिति ऐसी है, कि संबद्ध सामानों के उत्पादक दूसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं जो इस तथ्य से सिद्ध है कि उनके सामने विभिन्न देशों में व्यापार उपचार कार्रवाइयां आ रही हैं। इन उपायों से चीनी उत्पादक अपने निर्यात बढ़ाने से प्रतिबंधित हुए हैं जैसा कि इस तथ्य से सिद्ध है कि चीन से तीसरे देशों को निर्यात अनुपयुक्त क्षमताओं के बावजूद उसी गति से नहीं बढ़ें हैं जैसे भारत को निर्यात बढ़े हैं।

ड. भारत आत्मनिर्भर होने के बावजूद इस उत्पाद के लिए अकेला सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।

ढ. पाटनरोधी शुल्क से जनता पर कोई भारी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पीईटी का विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत में बहुत ही कम अनुपात है। जहां वह पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है।

ण. चूंकि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर है, अतः इसे घरेलू उद्योगको प्रकट किया जाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

147. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पूर्व के अनुरोधों को दोहराए जाने के अलावा, उन्होंने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. जियांगिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मैटीरियल्स एंड चाइना प्रोसपेरीटी (जियांगिन) पैट्रोकेमिकल्स के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे को स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि अनुबंध-1 के पैरा-8 में पूरे समूह की प्रतिभागिता की स्पष्ट अपेक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्रुप की मूल कंपनी अर्थात् जियांगिन चेजिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप कंपनी लिमिटेड संबद्ध सामानों के उत्पादन और बिक्री में नहीं लगी है और चैनगोल्ड ग्रुप के बोर्ड सदस्य दैनिक आधार पर अपने प्रचालन संचालित करते हैं तथा मूल कंपनी के शेयरधारकों का कोई अतिव्यापन नहीं करते। मूल कंपनी का कार्यकरण और निष्पादन समूह को सीधे ही प्रभावित नहीं करता और प्रश्नावली दायर करने से चैनगोल्ड ग्रुप को एमईटी प्रदान करने के मुद्दे पर कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान नहीं होगा।

ख. चैनगोल्ड ग्रुप ने प्रश्नावली के उत्तर और एमईटी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं और कच्ची सामग्री तथा युटिलिटियों की खरीद कीमत का साक्ष्य प्रदान किया है। यदि प्राधिकारी को खरीद कीमत आसपास होने से कोई चिंता थी तो वे चैनगोल्ड ग्रुप से और स्पष्टीकरण मांग सकते थे।

ग. प्राधिकारी समूह द्वारा किए गए इन अनुरोधों पर विचार करने में विफल हुए हैं कि याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और घरेलू उद्योग के अलावा, अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा के स्रोत और मूल्य; आर एंड डी खर्च और जुटाई गई निधियों, और क्षति रहित कीमत प्रदान करने में व्यापार सूचना 10/2018 का अनुपालन नहीं किया है।

घ. यह अनुरोध करने के लिए कि नियम 7 के तहत दायित्वों का पालन किया जाना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बनान निर्दिष्ट प्राधिकारी, ईस्टर लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा भारत संघ बनाम मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड के मामले में निर्णय पर विश्वास किया गया है।

ड. प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने समूह द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उन्हें स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के कारण दें।

च. कंपनी का नाम कंपनी द्वारा उत्तर के अनुरोध के बाद जेजियांग वनकाई न्यू मैटीरियल्स कंपनी लिमिटेड से वनकाई न्यू मैटीरियल्स कंपनी लिमिटेड में परिवर्तित किया गया था। यह व्यापार अथवा उसके स्वामित्व में किसी वास्तविक परिवर्तन के बिना सामान्य रूप से नाम परिवर्तन है।

छ. आईवीएल धनसेरी को चीन में एक उत्पादक से संबद्ध होने के कारण घरेलू उद्योग के क्षेत्र से हटाया जाना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क के इस प्रकार से दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ज. प्राथमिक जांच परिणामों से लेकर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं हैं जहां केन्द्र सरकार ने सहमति नहीं दी। यह जांच अकेले इस आधार पर रद्द की जानी चाहिए।

- झ. पाटनरोधी जांच में आयातों में वृद्धि पाटन की मौजूदगी और घरेलू उद्योग को क्षति आवश्यक तत्व है परंतु इन तत्वों को 9 माह की अवधि की जांचावधि के लिए आवश्यक होने हेतु असाधारण परिस्थितियां नहीं माना जा सकता।
- ज. सहयोगी निर्यातकों के आयात आंकड़ों का प्रयोग क्षति विश्लेषण में नहीं किया गया है और स्वैच्छिक रूप से छांटे गए डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।
- ट. चीन से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनके रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि चीनी अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधानों का निर्वचन इन प्रावधानों को नकारता है। उपर्युक्त प्रावधानों के प्रारूपकार का इरादा ऐसा कभी नहीं था।
- ठ. सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में प्रकाशित एफ ओ बी कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए जोकि "भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर" है। जोकि, अनुबंध-1 के पैरा-7 में दिया गया एक विकल्प है। ये कीमतों सामान्य मूल्य के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त हैं क्योंकि ये वास्तविक बाजार संचालित कीमतें हैं और कोई लागत/लाभ के वैकल्पिक तत्व अथवा सामान्य मूल्य के परिकलन में घरेलू उद्योग द्वारा स्वेच्छाचारिता के प्रयोग नहीं हैं।
- ड. घरेलू उद्योग को तथाकथित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग के विवरण घरेलू उद्योग का उचित विश्लेषण अथवा पूछताछ कर क्षति की वस्तुपरक जांच के सिद्धांत लागू किए बिना उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार किए गए हैं।
- ढ. वर्तमान जांच में कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है क्योंकि घरेलू कीमतों पर संबद्ध आयातों द्वारा काफी कीमत प्रभाव के लिए कोई साक्ष्य नहीं था और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि घरेलू उद्योग को चीन से तथाकथित पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

148. जहां तक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक समूहों द्वारा सामान्य मूल्य की गणना करने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स झेजियांग वांकाई न्यू मेटिरियल्स कं. लि., चीन, मैसर्स जियांगयिन जिंग्यू न्यू मेटिरियल्स कं. लि., चीन, मैसर्स जियांगसू सेनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि., चीन और मैसर्स जियांगसू जिंगये प्लास्टिक कं. लि., चीन की ओर से मैसर्स ट्रकोलीगल एडवोकेट्स एंड कंसलटेंट्स ने भारत से एफओबी कीमत को चीन के लिए 'सीएनवी' के रूप में विचार करने के लिए पुनः कहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सहयोगी निर्यातक/आयातक द्वारा एमईटी प्रश्नावली के उत्तर दाखिल नहीं करके एमईटी की पुष्टि नहीं की थी। जैसा कि प्रकटीकरण में कहा गया है, उत्पादक/निर्यातक द्वारा अपेक्षित सामान्य मूल्य का विकल्प पैरा-7 में निहित नहीं है और इसीलिए प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणाम में अपनाई गई सीएनवी की कार्यप्रणाली के अनुसार उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की पुष्टि करते हैं। जहां तक अन्य सहयोगी उत्पादक/निर्यातक अर्थात् मैसर्स जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मेटिरियल्स कं. लि. और मैसर्स चाइना प्रोस्पेरिटी (जियांगयिन) पैट्रोकेमिकल कं. लि. की ओर से मैसर्स ईएलपी का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने समूह की धारित कंपनी द्वारा उत्तर दाखिल न किए जाने के लिए अपने स्पष्टीकरण की इस आधार पर पुनरावृत्ति की है कि वे विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में शामिल नहीं थे। तथापि, एम ई टी की स्वीकार्यता के लिए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक को जिम्मेदार मानने के लिए प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार इसके लिए दावा सिद्ध करने की जरूरत है, जिसमें कि पैरा 8(3) में विचाराधीन उत्पाद से बाहर की सूचना विनिर्दिष्ट है। समग्र समूह के लिए प्रश्नावली दाखिल नहीं किए जाने के कारण, मैसर्स जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मेटिरियल्स कं. लि. और मैसर्स चाइना प्रोस्पेरिटी (जियांगयिन) पैट्रोकेमिकल्स कं. लि. द्वारा एम ई टी के दावे पर एम ई टी के दर्जे की स्थापना के लिए विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, उत्पादक/निर्यातक ने दिनांक 03.07.2020 को ई-मेल के जरिए मांगी गई अतिरिक्त लागत संबंधी सूचना के संबंध में डाटा दाखिल नहीं किए। विलंब की अवस्था में दिनांक 17.12.2020 को उत्पादक/निर्यातक ने, पहले दाखिल किए गए उत्तर की मात्र पुनरावृत्ति की है जिस पर वास्तव में कमी के रूप में विचार किया गया था जिसके लिए अतिरिक्त ब्यौरों की मांग की गई थी। उत्पादक/निर्यातक द्वारा उपरोक्त असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने मैसर्स जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मेटिरियल्स

कं. लि. और मैसर्स चाइना प्रोस्पेरिटी (जियांगयिन) पेट्रोकेमिकल कं. लि. को एम ई टी का दर्जा प्रदान करने पर विचार नहीं किया है और प्रारंभिक जांच परिणाम में अपनाए गए अनुसार सीएनवी के लिए कार्यप्रणाली की पुष्टि करते हैं।

149. घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में अनुरोध के बारे में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार क्षति संबंधी सभी मानदंडों की जांच की है। प्राधिकारी वास्तविक क्षति और क्षति के खतरे का अपने निर्धारण जिसका उल्लेख प्रारंभिक जांच परिणाम और इस जांच परिणाम के पैरा 119 से 128 में किया गया है, को दोहराते हैं।

150. गोपनीयता और सूचना के स्रोत के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. जहां तक जुटाई गई धनराशि, आर एंड डी आदि के संबंध में सूचना का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित किसी राशि का दावा नहीं किया है और उनकी वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

ii. जहां तक अन्य भारतीय उत्पादकों के संबंध में उत्पादन और बिक्रियों का संबंध है, याचिकाकर्ता ने उनके बाजार की सूचना के आधार पर यह सूचना प्रदान की है। सकल भारतीय उत्पादन के संबंध में सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट कर दी गई थी। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई भी सूचना प्रदान नहीं की है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना गलत है।

iii. प्राधिकारी एन आई पी के प्रकटन के संबंध में मैसर्स ईएलपी द्वारा किए गए अनुरोध को नोट करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि चूंकि उसने अनेक क्षति मार्जिन प्रदान किए हैं और सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा उठाए गए मामलों का समाधान मान लिया गया है। प्राधिकारी ने अपनी सतत प्रक्रिया के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीयता का दावा प्रदान किया है।

151. जहां तक डी जी सी आई एस के आयात संबंधी डाटा का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मुख्यतः उत्पाद के विवरण के संबंध में विश्लेषण किया गया है। तथापि, कतिपय ऐसे सौदों को जहां कीमत असामान्य रूप से कम अथवा अधिक नोट की गई है, बाहर किया गया है। इस प्रकार के सौदों को बाहर करने से वास्तव में आयात की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा, इस प्रकार के सौदों को बाहर किए जाने से किसी भी तरह से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मूल्यांकित विशिष्ट मापदंडों पर प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि पीयूसी के फ़िल्टरिंग द्वारा किया गया बहिष्करण केवल कम मात्रा का है, इसलिए प्राधिकरण नोट करता है कि यह समग्र चोट के आकलन को भी प्रभावित नहीं करता है।

152. मैसर्स ट्रेको लीगल द्वारा नाम परिवर्तन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण ने वंकाई न्यू मैटेरियल कं. लिमिटेड (पूर्व में झेजियांग वंकाई न्यू मैटेरियल कं. लिमिटेड) के लिए स्वीकार कर लिया है।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

153. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच शुरू की गई और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया और घरेलू उद्योग, विषय देशों के दूतावासों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को डंपिंग, चोट के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। और कारण लिंग नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में डंपिंग, चोट और कारण लिंग की जांच शुरू और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि चोट को हटाने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है। इसलिए, प्राधिकारी विषय काउंटियों से विषय वस्तुओं के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

154. नियम 4 (डी) और नियम 17 (1) (बी) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकारी, डंपिंग के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कम के बराबर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, एंटी-डंपिंग नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर शुल्क, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए, ड्यूटी टेबल कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के सभी आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की गई है जो चीन जन. गण. से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	एचएस कोड	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39076190, और 39076990	"पोलिइथइलेन टैरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी 0.72 डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।"	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	जियांगयिन चैनगोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं., लि./चाइना प्रोसपेरिटी जियांगयिन पैट्रोकेमिकल्स कं., लि.	146.11	मी. टन	अम. डालर
2.	39076190, और 39076990	"पोलिइथइलेन टैरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी 0.72 डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।"	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	वानकई न्यू मैटिरियल्स कं., लि.	15.54	मी. टन	अम. डालर
3.	39076190, और 39076990	"पोलिइथइलेन टैरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी 0.72 डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।"	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं., लि./ जियांगयिन जियांगयु न्यू मैटिरियल कं., लि./जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.	60.92	मी. टन	अम. डालर
4.	39076190, और 39076990	"पोलिइथइलेन टैरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी 0.72 डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।"	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	उपर्युक्त क्रम सं. 1, 2 और 3 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	200.66	मी. टन	अम. डालर
5.	39076190, और 39076990	"पोलिइथइलेन टैरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी 0.72 डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।"	चीन जन. गण.	चीन से इतर कोई अन्य देश	कोई	200.66	मी. टन	अम. डालर
6.	39076190, और 39076990	"पोलिइथइलेन टैरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी 0.72 डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।"	चीन से इतर कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	अन्य	200.66	मी. टन	अम. डालर

155. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th December, 2020

(OI CASE No: 17/2019)

Subject: Anti-dumping investigations on the imports of “Polyethylene Terephthalate (PET Resin)” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/24/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Anti-Dumping Rules or AD Rules);

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the applicants or petitioning domestic industry) have filed an application before the Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of the Polyethylene Terephthalate (hereinafter also referred to as the product under consideration or the subject goods) from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules, initiated the anti-dumping investigation vide File No. 6/24/2019-DGTR dated 1st October, 2019, published in the Gazette of India, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 1st October, 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 1st October, 2019, to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers and other interested parties, as per the available information. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- i. Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd.
 - ii. Zhejiang Wankai New Materials Co. Ltd.
 - iii. Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.
 - iv. Dragon Special Resin(Xiamen) Co. Ltd
 - v. Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd.
 - vi. Zhongxin Industry Co., Ltd.
 - vii. Changzhou Hengqi Plastics Co., Ltd.
 - viii. Chengold
 - ix. Chongqing Pengwei
 - x. Dragon Special Resin
 - xi. Foshan Famous Polymer Materials Co., Ltd.
 - xii. Guangdong IVL PET Polymer Co Ltd. (Indorama Ventures)
 - xiii. Henan Longyu Coal Chemical Co Ltd.
 - xiv. Zhejiang Zhenbang Chemical Fiber Co Ltd
 - xv. Jiangsu Sanfangxiang Group
 - xvi. Maoming Petrochemical Company
 - xvii. Zhejiang Yisheng Petrochemical Co Ltd.
 - xviii. Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co Ltd.
 - xix. Tongkun Group Co., Ltd.
 - xx. Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd
 - xxi. Zhejiang Zhengkai
 - xxii. Yuhua Polyester Co., Ltd.
- g. In response to the above notification, following exporters/ producers have responded or submitted exporter questionnaire responses:
- i. Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd
 - ii. China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd.
 - iii. Zhejiang Wankai New Materials
 - iv. Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.
 - v. Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.
 - vi. Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd
- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- i. Guala Closures India Private Ltd.
 - ii. Pepsico India Holdings Pvt Ltd.
 - iii. Sunrise Containers Ltd.
 - iv. Asb International Pvt Ltd.
 - v. Starpet Trading Pvt Ltd.
 - vi. Madras Hardtools Pvt Ltd.
 - vii. Saikrupa Polymers Corporation

- viii. S.S. Polymers
 - ix. Vinay Plastics
 - x. Ketul Chem Pvt Ltd.
- i. Response has been filed by Madras Hardtools Pvt. Ltd. and Indian Plastics Federation.
 - j. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10.04.2020 (extended till 31.12.2020). Submissions made by all interested parties have been taken into account till the extent found necessary by the Authority in this document.
 - k. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which has been received by the Authority. The analysis of the DGCI&S data received by the Authority has been done and it has been observed that there is no significant difference in the analysis done by the Authority and the analysis done by the Domestic Industry. Since the interactions with the Domestic Industry could not be held on the transaction wise data for consideration of PUC and Non PUC, the Authority has relied upon the analysis submitted by the Domestic Industry for computation of the volume of imports and the Landed value for final determination.
 - l. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
 - m. In terms of provision contained in Rule a(d) of the Rules, the Authority issued Preliminary findings dated 05.08.2020 along with a corrigendum notification dated 04.09.2020 published in the Gazette of India Extraordinary, and recommended imposition of provisional anti-dumping duty by Central Government.
 - n. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held through NIC video conference on 04.12.2020, which was attended by all interested parties. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were provided an opportunity to submit their rejoinders thereafter. Central Government has accorded permission for extension of time period for investigation up to 31st December, 2020 for completing the subject investigation and notifying the final findings.
 - o. Disclosure statement (NCV) served to all interested parties with confidential version to concern on 17/12/2020 through email along with reasonable time given for filing the comments, if any. Comments received from interested parties and the same taken on record by the Authority.
 - p. Verification of the information provided by the domestic industry was carried out by the Authority, to the extent necessary, by way of on-site visit and table study. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the subject investigation.
 - q. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is October, 2018 to June, 2019 (9 months). The injury period includes 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation in addition.
 - r. The different submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this document.
 - s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing

information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded it on the basis of the facts available.
- u. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties including post disclosure comments, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- v. ‘***’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate for POI (October, 2018 to June, 2019) adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 71.79.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions of domestic industry

- i. The product under consideration is virgin bottle-grade polyethyleneterephthalate (PET) resin, defined as “polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 deciliters per gram or higher” except recycled PET resin.
- ii. The subject goods were classified under the codes 39076010 and 39076020 originally. On 2nd February, 2017, the product’s classification was changed to 39076100 and 39076910 and with effect from 1st January, 2020, the classification was further changed to 39076190 and 39076990.

C.2. Examination by the Authority

4. The product under consideration, as stated in the notice of initiation, is “virgin polyethylene terephthalate (PET) resin”, defined as “polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”. The scope of product under consideration does not include recycled PET Resin. PET Resin is used for the manufacturing of preforms, which are then converted into PET bottle and jars for the storage of mineral water, carbonated soft drinks, edible oils, pharmaceutical products etc.
5. Prior to 2nd February, 2017, the subject goods were classifiable under the codes 39076010 and 39076020. From 2nd February, 2017 the product’s classification was changed to 39076100 and 39076910. On 1st January, 2020, the classification was further changed to 39076190 and 39076990. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of present investigation.
6. None of the interested parties have made any submissions in this regard to the scope of product under consideration. The Authority has considered the same scope of product under consideration as was defined at the time of initiation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of the domestic industry

7. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the domestic industry and standing:
 - i. The petitioners, namely, M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and M/s Reliance Industries Limited are the two largest producers of the subject goods in India accounting for 91% of the domestic production in India.
 - ii. IVL Dhunseri is related to an exporter, Guangdong IVL PET Polymer Co. Ltd but is not in a position to exercise control or direction over it. Although M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited is indirectly related to a Chinese producer, the quantum of exports by such producer is negligible when compared to the total imports from subject country, the production and sales of the petitioner and the demand in India. The imports by

the company account for less than one percent of its total production. Therefore, the producer should be treated as eligible to constitute domestic industry.

- iii. Exclusion of IVL Dhunseri will distort injury analysis, as it accounts for a significant share of the production.

D.2. Submissions of other interested parties

8. The domestic producers namely IVL Dhunseri Petrochem Industries Pvt. Ltd. (IVL Dhunseri) is related to a producer in China namely Guangdong IVL PET Polymer Co. Ltd, and the said producer from China has also exported the subject goods to India during the POI and it is a sufficient ground for the exclusion of IVL Dhunseri from the scope of the domestic industry in the current investigation.

D.3. Examination by the Authority

9. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

10. The application has been filed jointly by M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and M/s Reliance Industries Limited. M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited is related to an exporter, namely, M/s Guandong IVL PET Polymer Co. Ltd, of the alleged dumped goods. However, considering the insignificant quantity of exports by the related exporter, the Authority has considered M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited as eligible domestic industry within the meaning of the aforementioned Rule.
11. The share of the petitioning domestic industry constitutes 91% of the total eligible domestic production. Hence, the applicants constitute domestic industry under Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application meets the requirements of Rule 5(3).

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the domestic industry

12. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the confidentiality:
 - i. Confidentiality claimed by the exporters is excessing in respect of publicly available information and names of unrelated exporter.
 - ii. The exporter has violated the requirements of Trade Notice 10/2018 by not disclosing the manufacturing process, names of raw material, related party information and trends of total PBIT.
 - iii. The domestic industry has submitted an undertaking under Trade Notice No. 7/2018 regarding the non-disclosure of DGCI&S import data and thus, such data cannot be disclosed.
 - iv. Disclosure of item-wise details of constructed normal value will adversely impact the domestic industry’s competition with other producers and their own interests.
 - v. Evidence of adjustments made to export price have already been provided by the domestic industry.
 - vi. Volume and profitability parameters are confidential information of the domestic industry. Further, such parameters have been provided in indexed form.
 - vii. Non-injurious has been determined as per Annexure-III of Anti-dumping Rules and no further methodology for the same is required. The figures used to determine the non-injurious cannot be disclosed being confidential.

E.2. Submissions of other interested parties

13. The petitioner has claimed excessive confidentiality regarding DGCI&S import data, item-wise details of constructed normal value, evidence of adjustments made to export price, volume parameters and return on capital and profitability in percentage terms which is not permissible in law, and has the effect of denying the interested parties a reasonable opportunity to make effective submissions protecting their interests.
14. In the present Petition / Updated Petition, the Petitioners have claimed excess confidentiality and have not complied with the guidelines prescribed by the Trade Notice 10 of 2018 for providing insufficient information and the excessive confidentiality claimed by the petitioners is also against the spirit of Supreme Court decision in Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority, 2003 (158) ELT 673 (SC) and WTO Appellate Body in European Communities – Definitive Anti-dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China.
15. The petitioners have claimed excessive confidentiality with respect to many parameters in the petition like, Volume and Value of Production by all other producers except DI, R&D Expenses, Non-injurious price calculation, etc.
16. The Authority is thus requested to kindly direct the Petitioners to follow the relevant Trade Notice on the factors enumerated above and provide the necessary information. Until the above information, which is crucial for the purposes of determining injury and causal link, is made available, the interested parties will not be able to effectively represent their interests. In the event the Petitioners fail to rectify the above deficiencies in a timely manner, the investigation must be terminated immediately.

E.3. Examination by the Authority

17. Non-confidential version of the information provided by various interested parties were made available to all interested parties through the public file as per Rule 6(7) and Trade Notice No. 10/2018, dated September 2018, read with Trade Notice No. 01/2020 (as extended by the Authority till 31.12.2020).
18. With regards to DGCI&S data, the Authority notes that the data has been shared with interested parties relating to volume & value of imports from exporting countries into India. Further, the applicant has provided a complete list of transaction wise import data. It is also noted that any interested party can obtain data independently from the DGCI&S and lodge its own counter claim based on the data so received. The Authority holds that procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCI&S. Hard copy of the sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per prescribed format. The interested parties who requested for procurement of import data from DGCI&S and provided undertaking as per Trade Notice 07/2018 were also granted authorization to obtain import data in excel file from DGCI&S. The Authority thus notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.
19. With regard to the confidentiality of information, the Authority notes that the information provided by the domestic industry on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential.

F. Miscellaneous submissions**F.1. Submissions of the domestic industry**

20. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
 - i. Contrary to contention of the other interested parties, non-imposition of provisional duties does not mean conclusions drawn in preliminary findings are inappropriate. In a number of cases, the final findings were implemented even though the preliminary findings were not.

- ii. Responding to arguments in this regard, it was submitted that period of investigation of 9 months is appropriate owing to a dramatic increase in imports during said period due to significant dumping. The Authority has considered such a period of investigation in the past as well.
- iii. Imposition of anti-dumping duty is in public interest as it will increase the cost of eventual end product by only 0.001% to 0.34% and will protect the domestic industry from dumping.

F.2. Submissions of other interested parties

21. Following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- i. Consideration of Period of investigation of 9 months is not appropriate since Para 5.4 of the Manual of Operating Practices for trade Remedy Investigations provides that a period shorter than 12 months can be considered only in exceptional and rare cases.
- ii. The petitioner in fact, proposed a period of 6 months claiming dramatic changes in product performance, which cannot be considered as exceptional or rare circumstance.
- iii. Even though, the Hon'ble Authority has not considered the POI of 6 months as proposed by the DI, the Authority has not even stated its reasons for considering the POI of 9 months as against the usual POI of 12 months. Neither has there been any analysis or reasons provided in the preliminary findings for considering POI of 9 months.
- iv. Non-imposition of provisional duties recommended in the preliminary findings issued on August 5 2020 indicates that the Central Government is not convinced with the conclusions and analysis drawn in the preliminary findings concerning the alleged dumping.
- v. The petitioner states that abnormal transactions (understood to mean high price transactions) have been removed from DGCI&S data, but, has not specified the basis on which such transactions have been classified as abnormal. Exclusion of high price transactions amounts to zeroing, which is not permissible in law.
- vi. Conclusions in the preliminary findings have been made based on comparisons between data for period of investigation and the previous year disregarding the remaining injury period and if this is how the conclusion has to be drawn then there is no meaning of seeking details of injury factors for the 4 years, rather, the details of 2 years would be sufficient.
- vii. Further, the conclusion for decline in sales and production in POI is made on the basis of previous year in para 64(d) of the preliminary findings and this again cannot be regarded as objective examination. The lack of objective examination by the Hon'ble Authority is further reflected in para 64(e) and 86(c) of the preliminary findings wherein the conclusion for decline in market share has been recorded on basis of a cursory analysis. Price underselling or price undercutting are not factors of injury to domestic industry and non-conclusion of injury can be drawn on these factors alone as has also been held by CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing v. DA (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.) and followed by the Hon'ble Authority in case of Gypsum Plaster Board (F. No. - 7/8/2017-DGAD).
- viii. Conclusions in the preliminary findings regarding volume parameters are ambiguous and not conspicuous.
- ix. Evidence provided to establish threat of material injury to the domestic industry is not based on facts but are allegations based on conjectures and remote possibility and the injury to the domestic industry is not clearly foreseen and imminent.
- x. The details of the excess capacities in China have been addressed as mere statements in the preliminary findings and do not disclose as to how such capacities may be diverted to India to cause injury to the domestic industry/petitioners.
- xi. The claims of use of trade remedial measures by USA, Canada, Brazil and Argentina do not imply prohibition of imports to such countries and also do not explain how the same could be diverted to India. The same therefore, reflects a remote possibility and no a real situation.

- xii. The statement of India being the largest export market of subject goods for China does not explain as it being a factor for the threat of injury to the domestic industry.
- xiii. The increase in selling price as well as the import prices itself imply that there is no suppressing or depressing effect on domestic prices and therefore, there can be no likelihood of the same in the future.
- xiv. Inventories of the domestic industry have not been analysed to establish threat of material injury despite the same being a listed factor in Annexure II. Inventories of the domestic industry have declined significantly in the POI as compared to all the previous 3 years thereby, implying no threat of material injury.
- xv. Threat of material injury can be established when all listed factors show positive findings for threat, which is not case in present investigation.
- xvi. Designated Authority has failed to provide appropriate reasons or the exigency for the issuance of the Preliminary Findings imposing provisional duties as is required under Rule 12 of the AD Rules.
- xvii. Further, Article 7.1 of the AD Agreement also provides that, in order for the provisional levy of anti-dumping duties, the investigating authorities are required to demonstrate the exigency or such facts that demonstrate that the provisional measures would be necessary to prevent injury being caused during the investigation. The same has not been followed in the present case.
- xviii. Chengold Group has filed supplemental questionnaire response for the market economy status on December 9, 2019. Therefore, Chengold Group's normal value should be determined on the basis of sales made by of Chengold Group in the home market. But, the Authority in para 21 of the preliminary findings has not accorded market treatment to the Chengold Group.
- xix. The producer submitted that the domestic cost to make and sell and the domestic selling price of the Producer are completely unaffected by any (alleged) manipulation of foreign exchange conversation rates in China, whereby there is no impact on the normal value of the Producers, particularly since the Producers did not import any major raw materials or inputs during the POI.
- xx. The Producers submitted that their parent company M/s Jiangyin Chengxing Industrial Group Co., Ltd. is neither involved in production nor sales of the PUC. Further submitted that that the Board Members of the Producers run their operations on a day-to-day basis and do not have any overlap with the shareholders of the parent company.
- xxi. The Producers submitted that the Sinopec neither produces the PUC for the Producers, nor does it supply raw material or any other inputs for the Producers' production of the PUC. Sinopec is simply a customer
- xxii. The evidence provided by the Petitioners for the "national torch project" appears to be from 2013 (approximately), a period of time prior to the incorporation of the Producers. The evidence adduced by the Petitioners is entirely irrelevant and outdated, and therefore liable to be rejected
- xxiii. The Designated Authority is requested to grant market economy treatment to Chengold Group, determine an individual margin for Chengold Group based on the questionnaire responses filed and take into consideration Chengold Group's submissions on absence of injury to the Domestic Industry during the issuance of Final Findings.

F.3. Examination by the Authority

22. The Authority has noted all the arguments and counterarguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made.
23. With regard to the submissions of interested parties regarding non-imposition of provisional duties, the Authority notes it is the duty of the Designated Authority under Rule 4 of the Anti-Dumping Rules to investigate existence, degree and effect of any alleged dumping, identify the article liable

to anti-dumping duty, submit findings to the Central Government as to dumping and injury, and recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. It is for the Central Govt. to decide whether or not to impose such duties. The Authority had conducted the present investigation and shall record findings, having regard to the facts and evidence brought forward by all interested parties during the present investigation, irrespective of whether or not the Central Govt. implements such recommendations.

24. With regard to submissions of interested parties regarding the period of investigation, the Authority notes that the period of investigation may range from 6 to 18 months, depending on the facts of each case in the present case, while the domestic industry proposed a period of 6 months as period of investigation, a period of 9 months was considered appropriate for the present investigation, as there was a significant increase in imports during a very short period of time. Considering the sharp increase in imports, significant dumping during this period and consequent adverse impact on the domestic industry, the period of investigation of 9 months was considered appropriate for the purpose of the present investigation.

Assessment of dumping – Methodology and Parameters

G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the Domestic industry

25. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- a. Notwithstanding the provision under China's Accession Protocol providing for the application of Article 15(a) only up to December, 2016, the producers of the subject goods must be called upon to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry in China.
 - b. If they are unable to do so, the cost of production of subject goods in China must be determined on the basis of cost of production in India along with reasonable profit.
 - c. The petitioner has taken the CIF price and made adjustments pertaining to Ocean freight, Marine insurance, Commission, Port expenses, Inland freight, and VAT difference to determine the export price.
 - d. Dumping margin calculated for the subject country is positive and significant.
26. The claim of market economy treatment cannot be allowed for exporters/ producers for the following reasons:
- i. The foreign exchange rates are determined through government intervention in China and not as per the market rate which is evident from recent undervaluation of its currency.
 - ii. The holding company, Jiangyin Chengxing Industrial Group Co. Ltd has not participated in the investigation.
 - iii. Chengold Packaging has entered into a Strategic Cooperation Agreement with Sinopec (biggest state-owned oil and gas enterprise) on PET projects, which can lead to distortions in cost of production.
 - iv. Chengxing Group has been part of various government research initiatives, including the 'National Torch Projects', set up to encourage high-tech enterprises and is receiving infrastructural and technological support from the Government.
 - v. Jiangsu Sanfame International Trade Co. Ltd., Jiangyin Xingyu New Material Co. Ltd. and Jiangsu Xingye Plastics Co. Ltd (Sanfangxiang Group) have claimed that normal value based on their sales but have failed to file MET claim response. US DOC has also examined the status of the exporter and concluded that the Group is not operating under market economy conditions.

- vi. Costs and prices of Zhejiang Wankai New Materials Co. Ltd. cannot be considered as it has not established existence of market economy conditions.
 - vii. Related producers of Sanfame group, Jiangyin Xingtai New Material Co. Ltd, Jiangyin Xingjia Plastics Co. Ltd, and Jiangsu Xingye Polytech Co. Ltd have not participated in the investigation.
 - viii. Sanfangxiang group exported through an unrelated exporter who has not filed the response and hence, the sales channel is incomplete.
 - ix. Distribution channel disclosed by Jiangsu Sanfame International Trade and Jiangyin Xingyu New Material is not accurate as contradictory statements are made in the EQR regarding the same.
27. Normal value for all the producers must be calculated based on weighted average cost of production of domestic industry along with reasonable profit. The present practice of the Authority to take lowest cost of production amongst domestic producers, is not appropriate as it should not be assumed that the producers in China are operating their plants at the most efficient cost of production.
 28. The petitioner has taken the CIF price and made adjustments pertaining to Ocean freight, Marine insurance, Commission, Port expenses, Inland freight, and VAT difference to determine the export price.
 29. Contrary to the claims of the interested parties, unless the producers/ exporters establish that they are operating under market economy conditions, normal value cannot be determined based on their domestic prices. The Authority has considered China PR as a non-market economy even after expiry of Article 15(a)(ii) of the Accession Protocol in various findings such as fluoroelastomers, electronic calculators, metaphenylene diamine, nylon multi filament yarn, flat based steel wheels and electric insulators.
 30. Construction of normal value based on price payable in India is appropriate since information regarding prices of the subject goods in a market economy third country was not publicly available. The producers/ exporters have neither raised any objection regarding the same before the oral hearing nor substantiated an appropriate third country for calculating normal value.
 31. Normal value based on price paid in India as published in ICIS report cannot be considered as the actual price in India is already suppressed and depressed due to dumped imports.

G.2. Submissions of other interested parties

32. Normal value for China PR has been determined on the basis of cost of production of the domestic industry as normated with due adjustment for SGA expenses and a reasonable profit at the rate of 5% on cost of production which is not in accordance with law. And, it should be determined on basis of domestic sales and cost of subject goods kept in accordance with GAAP of China since the 15 years period envisaged under Para 15(a)(ii) of the Chinese Accession Protocol expired on December 11, 2016 and no provisions permit China's treatment as a Non-market economy (NME).
33. Determination of normal value based on cost of production in India is erroneous since the same can be relied upon only where information regarding a market economy third country is unavailable. In the present case, the petitioner was required to inform a selection of market economy third country in order to provide other interested parties an opportunity to respond with relevant information, or the petitioner ought to have put interested parties to notice about selection of the third country or requested the interested parties to suggest information with respect to a third party, but neither of this was done, which is inconsistent with the decision of the Supreme Court *Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Excide Co. Ltd* 2005 (181) ELT 320 (SC).
34. Normal value for China PR under paragraph 7 of Annexure I of Anti-dumping Rules should be determined based on the market prices of subject goods in India as published by ICIS after adjusting the same for inland transportation and customs handling charges and not on the cost of production of the domestic industry which is not representative of the industry as whole.

G.3. Examination by the Authority

35. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

36. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd.
- ii. China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd
- iii. Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd.
- iv. Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.
- v. Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.
- vi. Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd.

37. The Authority notes the following relevant provisions related to normal value computation under the Anti-Dumping Rules as well. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules are as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided,

however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

38. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard.

39. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which

take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph

(a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

40. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a) (ii) of China's Accession Protocol have expired with effect from 11 December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status. The Authority notes that except Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd, no other producer/exporter from China PR has submitted market economy treatment/supplementary questionnaire response. The normal value computation for these other producers/exporters are required to be dealt as per provisions of Para 7 of Annexure-1 of Anti-Dumping Rules. Further, the Authority has provisionally determined not to accord market economy treatment to Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. And China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd for reasons as enunciated in subsequent paragraphs.

G.4. Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters

G.4.1. Evaluation of MET status of Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. And China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd and Computation of its Normal Value

41. The Authority notes that Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd have claimed market economy status by submitting the supplementary market economy treatment (MET) response.
42. In the instant case, the Authority notes that M/s Jiangyin Chengxing Industrial Group Co. Ltd. (Chengxing Group), which controls Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd has not filed questionnaire response. A MET claim response must be filed as a group, to assess decision making, purchase cost and financial situation of the exporter under Para 8(3) of Annexure 1 of Anti-Dumping Rules. The incomplete response submitted may not enable comprehensive examination and establishment of market economy status to Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd. The Authority has therefore, considered all producers/exporters of China PR as not qualifying for market economy treatment including Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd which have claimed market economy treatment.
43. The normal value has therefore, been determined on the basis of para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules. The Authority accordingly explored the option of construction of normal value as per the hierarchy laid down in Para 7 of Annexure-I of Rules which provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not

possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.

44. The Authority notes that none of interested parties including domestic industry have provided information with regard to price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India. Since there is no information on record with regard to cost or price in market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, normal value could not be determined on the basis of the same. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India in term of para 7 of Annexure-I, The Authority has therefore, determined normal value on the basis of best estimates of cost of production of the subject goods in India, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with the addition of reasonable profit margin @ 5%. The normal value so constructed is mentioned under dumping margin table.

G.4.2. Determination of normal value and export price for cooperating producers and exporters

A. Chengxing Group

45. Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd, subsidiaries of Chengxing Group are listed companies and, are engaged in production and sale of the subject goods. Both Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd have claimed market economy treatment for computing 'normal value' on the basis of their domestic sales in China. The above two entities are related to each other by way of major common shareholder i.e. M/s Jiangyin Chengxing Industrial Group Co., Ltd. The Authority requested the producer/exporter group to file the exporter questionnaire response for the common shareholder also to complete the response for the entire group and also certain supplementing data on the cost of production. The producer/exporter has stated that the parent company is not involved in production or sales of the product under consideration (PUC) and there is a clear distinction between the scope of activities described for the exporters and their parent company, demonstrating that the parent company has separate and unrelated operations to the PUC. The producer/exporter also clarified that this was also mentioned as part of the worldwide structure of the group already filed by them. Therefore since the parent company is not involved in the production or sales of the PUC, as well as the absence of any shareholder of the parent company as board members in the exporters' Board of Directors, there should not be any requirement upon this company to the its separate response.
46. The Authority noting the submissions of the producer/exporter on considering their response for MET without a separate response by the Shareholding Company holds that 'Normal Value' in case of related companies is evaluated for group as a whole. In case where MET status is claimed by the related companies of a group, then criteria stipulated in para 8 of the Annexure 1 of AD Rules are required to be satisfied for the entire group comprehensively, and hence complete response of the group is essential. Further, the producer/exporter was requested to provide the missing cost of production details which they have provided recently. However no evidence regarding purchase price of raw material and utilities being at arm's length in accordance with market signals has been provided. Therefore the Authority for the purpose of final findings has not considered according MET and individual normal value to the Producer Group.
- a. Normal Value
47. As stated above, Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd have claimed market economy treatment. But as the Chengxing Group did not file response to the information sought for by the Directorate, as stated above the claim of Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd for market economy treatment is not admitted, at this stage. The normal value is constructed as *** US\$/MT as explained above in para 23.
- b. Export Price
48. During the period of investigation, Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd have exported *** MT of the subject goods. The exporters have claimed adjustments on account of Ocean Insurance, Commission, Shipping Cost

and Profit by trader in determination of ex-factory export price. The weighted average ex-factory value of subject goods exported by Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd after necessary adjustments is computed as ***US\$/MT. The Landed Value is computed as *** \$/MT.

B. Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd.

a. Normal Value

49. The producer/exporter has not claimed market economy treatment and accordingly the normal value has been determined in accordance with Para-7 of Annexure-I, as detailed above. The normal value is constructed as *** \$/MT as stated above in para 23.

b. Export Price

50. During the period of investigation, Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd. has exported *** MT of the subject good to India. The exporter has claimed adjustments on account of Ocean Freight, Ocean Insurance, Inland Freight, Credit Cost, Bank Charges, and Port Expenses in determination of export price. The ex-factory export price for the subject goods comes to *** \$/MT, allowing adjustments as reported by the exporter. The Landed Value is computed as *** \$/MT.

C. Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd., Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. and Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd.

a. Normal Value

51. The above 3 related producers/exporters have not claimed market economy treatment and accordingly the normal value has been determined in accordance with Para-7 of Annexure-I, as detailed above in para 23. The normal value is constructed as *** \$/MT.

b. Export Price

52. During the period of investigation, Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd. Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. and Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd. have exported the subject goods to India directly as well as through an unrelated exporter to an extent of *** MT. The exporters have claimed adjustments on account of ocean freight ocean insurance, inland freight, port expenses, bank charges, credit cost and non-refundable VAT wherever incurred in determination of export price. The ex-factory export price for the subject goods comes to *** US\$/MT, allowing adjustments claimed by the exporter. The Landed Value is computed as *** \$/MT.

G.5. Determination of normal value and export price for non-cooperating producers and exporters

53. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from China PR has been determined as per facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

G.6. Determination of Dumping Margin

54. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject country have been determined as follows:

S.No.	Producer	Normal value (\$/MT)	Export Price (\$/MT)	Dumping Margin (\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (% Range)
1.	Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	***	20-40

2.	Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd., Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd., and Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd	***	***	***	***	0-20
3.	Zhejiang Wankai New Materials	***	***	***	***	0-20
4.	Any other producer/exporter	***	***	***	***	20-40

H. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions/views of the Domestic Industry

55. Following submissions have been made by or on behalf of the domestic industry with regard to injury and causal link:

- a. The imports from the subject country have increased drastically during the period of investigation in absolute and relative terms.
- b. The imports have increased at a much faster pace than the demand.
- c. The share of subject imports to total imports has increased from 61% to 94% over the injury period.
- d. The subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry, with price undercutting increasing in the period of investigation.
- e. The landed price is below the cost of sales and non-injurious price of the domestic industry.
- f. Despite the cost remaining the same, the petitioning domestic industry was forced to reduce its selling price. Therefore, the imports have had a depressing effect on the prices of the petitioning domestic industry.
- g. Despite the increase in domestic capacity, domestic production has reduced in relation to the subject imports.
- h. While the production and sales of the domestic industry have increased, it is not in proportion to the increase in demand.
- i. Production, sales, capacity utilisation increased till 2018-19 but the increase was not commensurate to increase in demand. These parameters declined in period of investigation.
- j. The market share of the domestic industry has fallen from 80% to 64% over the injury period.
- k. The profits of the petitioning domestic industry increased in 2017-18 but drastically fell subsequently. The performance of the domestic industry has also deteriorated in terms of cash profit and return on investment.
- l. While the petitioning domestic industry has been able to achieve a positive growth in respect of production and sales, such growth is not commensurate with increase in demand. Further, its position has deteriorated in terms of market share, profitability, cash profit and return on investment in the period of investigation.
- m. The profitability of domestic industry was low in 2016-17 due to low demand, low operating rates resulting in high fixed costs. With increase in demand, the profitability increased.

- n. The ability of the petitioning domestic industry to raise capital investments has been adversely impacted with a fall in interest coverage ratio.
56. There is a threat of material injury as:
- i. Rate of increase in subject imports is higher than increase in other imports.
 - ii. There are surplus capacities in China and further capacity expansion planning. Freely disposable capacities with Chinese exporters have increased at higher rate than increase in demand in their domestic market.
 - iii. Exports from China attract anti-dumping duty and countervailing duties in other jurisdictions. Imposition of trade remedial measures by third countries would increase the cost for users of subject goods in those countries resulting in such exports to be diverted to India, injuring the domestic industry further.
 - iv. Chinese producers have a trend of employing unfair trade practices.
 - v. India is the largest market for exporters in China as exports to India are more than exports to any other country.
 - vi. If dumping is not checked, the price of exports may fall further adversely affecting profitability of domestic industry.
57. No other known factor such as demand for subject goods, imports from other countries, pattern of consumption, trade restrictive practices, and development in technology, export performance, productivity and performance of other products of domestic industry has caused injury to the domestic industry.
58. Domestic industry had earlier suffered injury due to low demand, but such injury has been segregated to ensure that it is not attributable to subject imports.
59. The injury to domestic industry is due to subject imports as:
- i. The demand of low-priced imports in India increased due to dumping.
 - ii. Subject imports increased in absolute and relative terms.
 - iii. The share of subject imports in total imports increased and the subject imports have taken up the market share of domestic industry.
 - iv. The price undercutting is positive.
 - v. The subject imports have had a depressing effect on the prices of the domestic industry resulting in decline in profits, cash profits and return on capital employed.
60. There is sufficient capacity in India to cater to entire demand. The domestic industry has to rely on exports to dispose of its production even though it earns much lower profits on exports as compared to domestic sales.
61. Volume of imports from China has increased but from other countries has declined.
62. The DGCI&S import data has been sorted to exclude transactions that do not relate to the defined scope of product under consideration and the price of such imports irrelevant in such sorting.
63. The Authority must consider only positive price undercutting and injury margin relying on sufficient jurisprudence.
64. Costs of domestic industry increased in 2018-19 due to increase in cost of raw material. However, such increased cost of raw material has not been reflected in the import prices which continue to be below costs of the domestic industry and have thus affected its profitability, cash flow and return on investment.
65. Price underselling is only one of the factors to determine injury and even if ignored, all remaining parameters show decline, implying injury to the industry.
66. Responding to arguments in this regard, it was submitted that examination of inventories as required under Annexure-II relates to inventories of producers in subject countries and not of

domestic industry. Further, Annexure-II only provides an illustrative list of factors to be considered to determine threat of material injury and does not provide that all factors must show positive findings of threat.

H.2. Submissions of the Exporters/Importers/Users/Traders

67. The petitioner has excluded abnormal transaction from DGCI&S data, which is nothing but removal of high-priced transactions and the same amounts to zeroing, which is not permissible in law.
68. Several parameters indicate that there is no injury to Domestic Industry as there is no price suppression and depression, no correlation between price undercutting and profitability, Domestic Industry is still profitable during the POI, and inventories reflect a decline in the injury period.
69. Paragraph 55 of the provisional findings, shows that the Petitioners are still profitable, nearly at the same levels as the base year of the injury period.
70. Further, paragraph 59 of the provisional findings shows that the inventories of the Petitioners have also declined in the period of investigation, which reflects an absence of injury.
71. Further, it is reiterated that the Preliminary Findings does not examine at any point if and how the Petitioners are likely to be injured in the duration of the investigation.
72. The domestic industry is not suffering any material injury or threat of material injury and their claims have not been objectively examined by the Hon'ble Authority.
73. The imports had no price effect on the domestic industry as the domestic prices increased by 26% over the injury period while the import prices increased by 33% and thus, analysis of price undercutting is meaningless.
74. The production, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased significantly over the injury period and the domestic industry was able to over utilize its capacity to 110%.
75. It is difficult to appreciate that a decline in market share of the domestic industry has occurred in view of over-utilized capacities and decreasing inventory implying that the domestic industry in fact has no more capacity to increase its sales or production.
76. There can be no price depression as domestic industry was able to increase its prices over the injury period and under such a situation the analysis of price undercutting is meaningless.
77. The profitability, cash flow and return on investment of the domestic industry have been affected due to the increase in cost of wages, depreciation and interest cost of the domestic industry for which no cause can be attributed to imports and no reasons with regard to the increase in its cost have been cited by the domestic industry. The increase in cost of the domestic industry is required to be segregated and viewed independent from the effects of injury as a result of imports.
78. The domestic industry earned profits in 2016-17 and the cash profits and return on capital employed was positive and while the cost of the domestic industry increased by 25%, selling prices increased by 26% and fixed cost declined over the injury period. However, declining profits despite increasing selling price implies inaccuracies and contradictions in the data provided by the domestic industry and therefore, all the more calls for the need of objective examination.
79. Price underselling is neither a factor of injury to domestic industry and nor attributable to the subject imports but may be due to other factors and as such, the investigation is liable to terminated as held by CESTAT in *Bridge Stone Tyre Manufacturing v. Designated Authority* (2011) (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.) and followed by the Authority in case of *Gypsum Plaster Board*.
80. Conclusions in the preliminary findings regarding volume parameters are ambiguous and not conspicuous.
81. Evidence provided to establish threat of material injury to the domestic industry is not based on facts but are allegations based on conjecture and remote possibility.

82. Excess capacities addressed in the preliminary findings do not disclose as to how such capacities may be diverted to India to cause injury.
83. Use of trade remedial measures by USA, Canada, Brazil and Argentina does not imply prohibition of imports to such countries and diversion of same to India.
84. India being the largest export market of subject goods for China does not establish the threat of injury to the domestic industry.
85. The increasing selling price and import prices imply there is no suppressing or depressing effect on domestic prices and there can be no likelihood of the same in future.
86. Inventories of the domestic industry have not been analysed to establish threat of material injury despite the same being a listed factor in Annexure II. Inventories of the domestic industry have declined significantly implying not threat of material injury.
87. Threat of material injury can be established when all listed factors show positive findings for threat, which is not case in present investigation.
88. In absence of any price affect by subject imports on domestic prices and substantial evidence of injury to the domestic industry, there exists no causal link between alleged dumping and injury.

H.3. Examination by Authority

89. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
90. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
91. With regard to segregation of imports, the Authority notes that in the present investigation, the Authority has considered the imports as obtained from DGCI&S and excluded those transactions, which are not related to product under consideration. Such sorted imports have been used for the purpose of the present findings.
92. The Authority notes that it is not necessary that all parameters show of injury should show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some may show improvement. The Designated Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. Similarly, it is not necessary that all parameters listed in para (vii) of Annexure – II show threat, in order to arrive at a finding of threat of further injury. Rather, the provisions of para (vii) make it amply clear that it is only an illustrative list of factors that may be considered for analysis of threat of injury.

H.3.1. Volume Effect of Dumped Imports on Domestic Industry

a. Assessment of Demand / Apparent Consumption

93. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18- Jun,19)	POI Annl.
Domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	122	89	118
Other producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	165	137	136	181
Subject imports	MT	***	***	***	***	***
Other imports	MT	***	***	***	***	***
Total Demand	MT	8,19,671	10,47,635	10,88,175	9,02,226	12,02,968
Trend	Indexed	100	128	133	110	147

94. It is seen that the demand for the product has increased consistently during the injury period.

b. Import Volumes from the subject country

95. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18- Jun,19)	POI Annl.
Subject imports	MT	42,718	88,247	1,47,601	1,81,979	2,42,638
Other imports	MT	***	***	***	***	***
Imports in relation to						
Domestic production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	185	297	497	497
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	162	260	387	387
Total Imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	135	148	154	154

96. It is seen that:

- a. Subject imports increased significantly over the injury period, while imports from other countries declined.
- b. The subject imports have also increased significantly in relation to gross imports in India, domestic production and consumption.

H.3.2. Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

97. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject

country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. **Price Undercutting**

98. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the Domestic Industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	135	126
Landed price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	138	133
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	14.71	11.55	11.44	8.55

99. It is seen that the subject imports are entering the market at a price significantly below the selling price of the domestic industry. The imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.

b. **Price Suppression and Depression**

100. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	132	125
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	135	126

101. It is seen that whereas the domestic industry was able to increase its selling price more than the increase in cost of sales till 2018-19, both cost of sales and selling price declined in the period of investigation. However, the decline in the selling price was far more than the decline in the cost of sales. The imports were depressing the prices of the domestic industry in the period of investigation.

c. **Price Underselling**

102. The non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed

value of subject imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

Particular	Unit	Subject Country
Non Injurious Price (NIP)	Rs./MT	***
Landed Value	Rs./MT	85,911
Injury Margin	Rs./MT	***
Injury Margin	%	***
Injury Margin	Range	0-10

103. It is seen that the landed price of the subject goods from the subject country was lower than the NIP determined for the domestic industry.

H.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

104. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

105. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, Capacity, Capacity utilization and Sale

106. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18- Jun,19)	POI Annl.
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	75	100
Production – PUC	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	114	84	111
Production – Plant	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	114	83	110
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	114	110	110
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	122	89	118

107. It is seen that while the capacity remained constant over the injury period, production, capacity utilization and sales increased till 2018-19, though not commensurate with the increase in demand. However, production, capacity utilization and sales declined during the period of investigation, although demand for the subject goods increased. Whereas the demand increased by 47%, the sales of the domestic industry increased only by 18%.

b. **Market Share**

108. Market share of the domestic industry was as shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)
Subject Country	%	5.21	8.42	13.56	20.17
Trend	Indexed	100	162	260	387
Other Countries	%	3.26	1.70	1.30	1.16
Trend	Indexed	100	52	40	36
Domestic Industry	%	80.18	75.21	73.42	64.69
Trend	Indexed	100	94	92	81
Other Producers	%	11.35	14.67	11.71	13.98
Trend	Indexed	100	129	103	123

109. It is seen that the market share of subject imports increased considerably over the injury period, while the market share of the petitioning domestic industry fell. The data shows that the domestic producers have lost market to the imports from the subject country.

c. **Profitability, return on investment and cash profits**

110. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)	POI Annl.
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	135	126	126
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	132	127	127
Profit/(Loss)	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	215	211	79	79
Profit/(Loss)	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	257	256	70	94
Cash Profits	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	203	196	66	88
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	245	221	93	93

111. It is seen that

- a. Profits of the domestic industry which was increasing until 2017-18, declined in 2018-19 and fell more than 50% in the period of investigation.
- b. Cash profits of the domestic industry increased till 2017-18, declined slightly in 2018-19 and declined sharply during the period of investigation.
- c. The return on capital employed of the domestic industry, which was increasing until 2017-18, declined slightly in 2018-19 and significantly in the period of investigation.

d. **Employment, Wages and Productivity**

112. Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18- Jun,19)	POI Annul.
No of Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	97	97	97
Productivity per day	MT/DAY	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	114	111	111
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	118	86	115
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	133	137	137
Wages per Unit	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	113	121	121

113. It is seen that: -

- a. Number of employees of the domestic industry has reduced over the injury period.
- b. Wages and wages per unit have increased over the injury period.
- c. Productivity of the domestic industry has also increased over the injury period with a slight fall during the period of investigation.

d. **Inventories**

114. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18- Jun,19)
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	108	86

115. It is seen that the average inventories with the domestic industry decreased over the injury period with the decline in production in the period of investigation.

f. **Magnitude of Dumping**

116. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

g. **Growth**

Particulars	Units	2017-18	2018-19	POI
Production volume	%	8	6	(3)
Domestic sales volume	%	20	1	(3)
Profit/(loss) per unit (Rs./MT)	%	142	0	(42)
Cash Profits	%	139	(1)	(41)
Return on capital employed	%	225	(9)	(47)

117. While the domestic industry has been able to achieve a positive growth in respect of production, sales, and capacity utilization upto 2018-19, these factors declined in the period of investigation. Further, its position has deteriorated with regard to market share, profitability, cash profits and return on investment in the period of investigation.

h. **Ability to Raise Capital Investment**

118. The profits earned by the domestic industry have declined sharply in the period of investigation. The decline in profits before interest shows that the dumped imports may impact the ability of the domestic industry to raise capital investment.

i. **Overall Assessment of Injury**

119. On the basis of the above, the following conclusions have been made:

- The subject imports have increased both in absolute terms as well as in relation to production and consumption during the period of investigation.
- The subject imports are significantly undercutting the prices of the petitioning domestic industry.
- The subject imports have had a depressing effect on the prices of the domestic industry and the price underselling is positive.
- The production and sales of the domestic industry increased till 2018-19, but declined in the period of investigation.
- While the market share of the petitioning domestic industry declined over the injury period, the subject imports gained significant market share.
- The profits, cash profits and return on investment of the petitioning domestic industry have deteriorated since 2017-18 and drastically declined during the period of investigation.
- While the petitioning domestic industry has been able to achieve a positive growth in some volume parameters, the same has declined during the period of investigation. Further, its performance in the profitability parameters also shows a decline.

H.3.4. Threat of material injury

120. The applicants have also claimed threat of material injury. Submissions made regarding threat have been examined below:

a. **Rate of increase in imports**

121. The subject imports have increased significantly over the injury period. Further, the subject imports have increased at a rate higher than the increase in demand.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI Annl.
Subject imports	MT	42,718	88,247	1,47,601	2,42,638
Trend	Indexed	100	207	346	568
Total Demand	MT	8,19,671	10,47,635	10,88,175	12,02,968
Trend	Indexed	100	128	133	147

b. **Surplus capacities with producers**

122. The petitioners have claimed that the producers in China PR have excess capacities, as under;

Particulars	Unit	2017	2018	2019	2020	2021
Capacity*	Lakh MT	78.99	94.72	102.22	125.05	133.05
Production*	Lakh MT	69.55	78.50	84.85	88.25	89.87
Surplus capacities	Lakh MT	9.44	16.22	17.37	36.80	43.18

*Wood Mackenzie Chemicals

123. It is seen that Chinese producers are holding significant surplus capacities.

c. **Trade remedy measures imposed in third countries**

124. Information provided by the petitioners shows that trade remedial measures have been invoked by USA, Canada, Brazil and Argentina against Chinese imports of subject goods show the pattern of dumping by the concerned producers/exporters of the subject country. The petitioners have emphasized that the closure of these markets to the exporters indicates threat of increased dumping and further injury to the domestic industry.

d. **Prominence of India as a market**

125. The petitioners have also referred to the trade data of Chinese customs which shows that India is also the single largest market for Chinese exporters. Further, the share of exports to India in the total exports from China PR has increased from 5% in Apr-Sept, 2018 to 7% in Oct-Dec, 2018, 9% in Jan-Mar, 2019 and 10% in Apr-Jun, 2019. The exports from China to India are increasing at a much faster pace than those to third countries. The increasing importance of India as a market itself highlights threat of material injury.

e. **Whether imports are entering the market at prices that will have a suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry**

126. With the subject imports undercutting the prices of the domestic industry, the domestic industry has already been forced to reduce its prices. The continued positive undercutting suggests that the imports are likely to have a further suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry.

127. With respect to threat of injury, the following is concluded:

a. The subject imports have increased at a rapid rate.

- b. There are significant surplus capacities in China PR, which are expected to increase further.
- c. Other markets such as USA, Canada, Brazil and Argentina may be closed for the exporters due to imposition of trade remedial measures.
- d. India is an important market for the exporters in the subject country, being the largest export market.
- e. The imports are entering the domestic market at such prices as are likely to have a further suppressing or depressing effect.

128. The factors identified above show existence of a threat of further injury to the domestic industry.

H.4. Magnitude of Injury and Injury Margin

129. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price from each of the producers/exporters from the subject country for calculating injury margin. The injury margin for the non-cooperative exporters has been determined based on the facts available with the Authority.

SN	Producer	NIP (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	injury Margin (Range)
1.	Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	0-20
2.	Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd., Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd., and Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd	***	***	***	0-20
3.	Zhejiang Wankai New Materials	***	***	***	0-20
4.	All Others	***	***	***	0-20

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

130. As per the Anti-Dumping Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

131. The imports from countries other than the subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

b. Changes in the pattern of consumption

132. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

c. Trade restrictive practices

133. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Change in technology

134. The Authority also notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

e. Export performance

135. The Authority has considered data for the domestic operations only. Any possible deterioration in the export performance of the domestic industry, therefore, cannot be a cause for the injury to the domestic industry.

f. Productivity

136. The Authority notes that the productivity of the petitioning domestic industry has increased. Therefore, it has not suffered injury on this account.

g. Performance of other products

137. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold by the petitioners are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**138. Submissions made by M/s Indian Plastics Federation;**

- a. The quality of PET Resins manufactured by domestic producers and those imported from China are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical. There is no observable difference. However, quality standards can be ascertained only by a certification agency like the BIS or similar organisation.
- b. Supply of raw material by indigenous raw material producers is uncertain. There is also short supply of materials by domestic producers. Furthermore, there are certain varieties of PET resins that are not manufactured by domestic producers.
- c. Large discounts are offered to big companies. This is not available to small and medium units. This price disparity goes against small and medium industries. Hence small and medium industries prefer to import raw materials from China since their pricing policy and terms and conditions of payment are easier.
- d. There are no credit facilities available from indigenous raw material producers. This is available to imports from China.
- e. Our members and Federation are of the opinion that any anti-dumping duty on imports from China will affect the domestic processors adversely and, therefore, the proposed anti-dumping duty should not be imposed.

139. Submissions made by M/s Madras Hardtools Pvt. Ltd.;

- a. There is no injury being caused to the domestic manufactures of goods. The imported goods catering to the local users are competitive in price and good in quality with delivery time lines well kept. The landed cost of PET at our doors, is considerably cheaper in price. RIL material is always in demand and not easily available. Their terms and prices are not capable of being affordable for small manufacturers therefore, the injury claimed by the complainant is simply a bullying tactic to have monopoly in PET market.

- b. The overseas exporters give us a quality material at a competitive price keeping delivery timelines as against the inconsistency and one-upmanship and chaotic situations created by local suppliers. Direct interaction with the tertiary level dealers and manufacturers will reveal the position.
- c. The complainant is fairly a big player in the market and also exports the subject goods. The imports of PET from overseas ensures uninterrupted supply and comparative prices and delivery schedules. Imposing of ADD would push the cost of material and the local supply will not meet the demand. Small manufacturers and down the line consumers will suffer. The impact is highly dangerous. We are not in favour of imposition of anti-dumping measures.
- d. The Authority should take research in the PET Industries market, to realize the marketing strategy adopted by the complainant by curtailing supplies, increasing the prices affecting the production and adversely impacting the small and medium scale manufacturers. Most of the units will go out of production ending up in huge losses and unemployment and self-employment. In spite of the above facts and circumstances, if the Authority considers imposition of ADD it may be made prospective.

K. EXAMINATION OF MAJOR ISSUES RAISED SUBSEQUENT TO PF

140. The Authority notes that in response to the preliminary finding dated 5/8/2020, interested parties have filed submissions and later made additional submissions post the oral hearing held on 4/12/2020. The main issues raised by M/s TracoLegal Advocates & Consultants representing M/s Zhejiang Wankai New Materials Co. Ltd., China, M/s Jiangyin Xingyu New Material Co. Ltd., China, M/s Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd., China and M/s Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd., China relate to methodology of normal value, standing of domestic industry, tenure of POI, excessive confidentiality claimed by domestic industry, filtering of DGCIS's data and no injury to the domestic industry. M/s ELP representing M/s Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd and M/s China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co., Ltd have mainly contested non grant of Market Economy Treatment (MET) status to the cooperating exporter and thereby non grant of individual margin.
141. The Authority notes that domestic industry has stated that low imports were made by Domestic Industry during POI from the subject country which were less than 1% of its total production. There has been an adverse impact on their profitability due to the dumped imports. The Authority further notes that the export price adopted for the two cooperating producers/exporters groups in its preliminary finding has not been contested.
142. The Authority notes that the exports by cooperative producers/exporters account of for almost one third of total imports from subject country and the data of producer/exporter has been considered for evaluating dumping margin. For non-cooperative producers/exporters, the data of cooperative producers/exporters has been referenced by considering highest dumping margin/injury margin and therefore the issue of any DGCIS data not having been reliably filtered does not seem appropriate. As regards the standing of the domestic industry, the Authority considered the submissions in accordance with Rule 2(b) of AD Rules and relevant decisions on this issue in various AD cases.
143. As regards injury, the Authority considered all injury parameters as per Annexure 2 of the AD Rules. On the submissions of excessive confidentiality the Authority recalls para 3 (o) of the preliminary finding and hold that the norms of confidentiality have been non discriminatorily applied to all interested parties in accordance with relevant Rules/Trade Notice. As regards POI, the AD rules on this aspect have been amended in February 2020. The Authority has in past considered POI of period less than 12 months. The Authority notes that M/s TracoLegal Advocates & Consultants has submitted to refer FoB price in India as a basis for constructing normal value for the cooperative producer/exporter. The Authority recalls para 23 of preliminary finding wherein it has been stated that no information on the stipulated hierarchy in AD Rules has been provided. The submissions made by Traco Legal do not fall in the options stated in the hierarchy. As regards the claim of MET by M/s ELP the Authority notes that in para 21 of preliminary finding, this issue has been dealt. The Authority also notes that certain cost issues/deficiencies raised by DGTR in mail

dated 3/7/2020 have not been responded. On 16/12/2020, the producer/exporter has only referred to the earlier filed annexures without providing the requisite information. Further, non-filing of the questionnaire by the holding company M/s Jiangyin Chengxing Industrial Group Co., Ltd. as stated in para 21 of the preliminary finding does not enable Authority to evaluate the issues of market economy comprehensively for the entire group. The Authority therefore confirms the methodology for CNV for both cooperative exporter groups in the final finding.

144. As regards the submissions on issues of delivery schedule of supply of subject goods, price competitiveness the Authority only addressed the aspect of unfair trade practice of dumping so as to redress the injury caused to the domestic industry. The Authority further notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

145. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the essential facts gathered by the Authority during the course of the present investigation and as established by the Authority on the basis of information received from various sources are disclosed to the interested parties in order to enable these interested parties to offer their comments on these facts gathered by the Authority.

L. Post-Disclosure Comments

L.1. Submissions of domestic industry

146. The domestic industry largely reiterated the submissions made earlier. In particular, the domestic industry emphasized on the following issues :

- a. In addition to non-participation of the parent company, the MET claim of Chengold group was, in any case, not acceptable due to the following reasons.
 - i. Foreign exchange conversion rates in China are determined through government intervention and not market rates which is evident from the fact that China recently undervalued its currency in response to tariffs imposed by the USA.
 - ii. Jiangyin Chengold Packaging Materials Company Limited has entered into a Strategic Cooperation Agreement with Sinopec, one of the biggest state-owned oil and gas enterprise in China PR, for PET projects. This will lead to significant distortion in the cost of production of the responding exporter.
 - iii. Chengxing Group has been a part of various government initiatives including 'National Torch Project'. Such infrastructural and technological support from the Government will impact the costs of producers involved in production of subject goods.
- b. The methodology of determining normal value based on optimized cost of production of domestic industry is not appropriate as it assumes that the producers in the subject country are operating their plants at optimum levels, and at the lowest cost. The normal value should be determined based on weighted average actual cost of the domestic industry as a whole.
- c. Post-invoicing discounts should not be treated in the same manner as on-invoice discounts for determination of non-injurious price. Only discounts given at the time of sale can be reduced from cost of production.
- d. Injury margin and price undercutting should be determined considering only those import transactions whose landed price is below selling price and the non-injurious price. This is because the petitioner is only concerned with the injurious imports. This is consistent with the observations of the WTO Panel in the case of European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil and the decision of the Tribunal in the case of Kothari Sugars & Chemicals Limited V Designated Authority.

- e. The Indian industry consists of four producers which have the capacity much more than the existing demand in the country and will be able to cater to present as well as future demand in the country, thereby truly fulfilling the vision of Aatmanirbhar Bharat.
- f. The market for the product holds a significant potential and can attract future investments if fair competition prevails in the market. There is a need to protect present and future investment, against unfair trading practices of the foreign producers.
- g. Raw materials and utilities costs forms about 85% of the total cost of production for the product. The producers have low margins and any price competition adversely impacts the prices and profitability of the domestic producers.
- h. The Indian industry produces bottle grade PET resin of high quality, which can be relied upon by the consumers.
- i. There are global overcapacities of the product under consideration leading to oversupply in the market. There is stiff competition in the global market due to limited demand.
- j. A number of countries hold capacities in excess of their demand. China PR is the global leader in PET resin production capacities, holding about 30% of world capacity. Despite existing surplus capacities, significant capacity addition took place in China in 2016- 17 with about 50% increase in capacities.
- k. China PR is holding excess capacities to the extent of 70% of domestic consumption. Even after significant exports to the tune of about 25% of production, the Chinese producers are faced with under-utilised capacities. The current capacity utilisation in China PR is 70- 75% and the Chinese producers are forced to look for global market to utilise these capacities.
- l. The situation of overcapacities is such that the producers of subject goods are dumping in other countries as well which is evident from the fact that they face trade remedial actions in various countries. These measures have restricted Chinese producers from increasing their exports, as is evident from the fact that exports from China to third countries have not increased at the same pace as the exports to India, despite unutilised capacities.
- m. India is the single largest export market for the product, despite being self-sufficient.
- n. Imposition of anti-dumping duty will not have any significant adverse impact on public at large as PET forms an insignificant proportion in the cost of production of various product, where it serves as a packaging material.
- o. As the normal value is based on cost of production in India based on the data of the domestic industry, it should be disclosed to the domestic industry.

L.2. Submissions of other interested parties

147. Apart from reiterating their earlier submissions, the other interested parties have submitted as under.
- a. The claim of market economy treatment of Jiangyin Chengold Packaging Materials & China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical should be accepted as Para 8 of Annexure I does not have an express requirement of the participation of entire group. Further, the parent company of the group, namely, Jiangyin Chengxing Industrial Group Company Limited is not involved in production and sales of subject goods and the board members of Chengold group run their operations on day-to-day basis and do not have any overlap with the shareholders of the parent company. The functioning and performance of the parent company functioning and performance does not directly effect the group and filing of questionnaire will not grant any additional benefit on the issue of granting MET to Chengold group.
 - b. Chengold Group has filed questionnaire response and MET questionnaire response and has provided evidence of purchase price of raw material and utilities. If the Authority had any concerns regarding purchase price being at arm's length, it could have sought further clarification from Chengold group.
 - c. The Authority has failed to consider submissions made by the group that the petitioners have claimed excessive confidentiality and have not complied with the Trade Notice 10/2018 in

- providing the source of volume and value of production by all other producers except domestic industry; R&D expenses and funds raised, and non-injurious price.
- d. Reliance is placed on the decision in case of Reliance Industries V. Designated Authority, Sterlite Industries (India) Limited V. Designated Authority and UOI V. Meghmani Organics Limited to submit that the obligations under Rule 7 must be observed.
 - e. The Authority must clarify if it has considered taken the arguments raised by the group into consideration. The Authority is requested to provide reasons for accepting or rejecting them.
 - f. The name of the company was changed from Zhejiang Wankai New Materials Company Limited to Wankai New Materials Company Limited subsequent to submission of the response by the company. It is a simple name change with no material changes in the business or its ownership.
 - g. IVL Dhunseri should be excluded from scope of domestic industry, being related to a producer in China. Such misuse of anti-dumping duty should not be permitted.
 - h. There are no dramatic changes in the facts and circumstances of the case since the preliminary findings, where the Central Government did not concur with. The investigation should be terminated on this ground alone.
 - i. In the anti-dumping investigations, increase in imports, presence of dumping and injury to the domestic industry are necessary elements but that these elements cannot be regarded as exceptional circumstances warranting for a period of investigation of 9 months duration.
 - j. The import data of the cooperating exporters has not been used in the injury analysis and arbitrarily sorted DGCI&S import data has been used.
 - k. The normal value for the producers from China may be determined on the basis of their records as the interpretation of the provisions of the Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol eventually puts these provisions to nullity. This was never the intention of the drafter of the aforesaid provisions.
 - l. Normal value should be determined on the basis of the published FOB prices in India, which is 'on the basis of price paid or payable in India', one of the alternatives given in Para 7 of Annexure I. These prices are most reliable and appropriate for normal value as these are the real market driven prices and there are no notional elements of costs/profits etc. or use of arbitrariness by the domestic industry in the computation of normal value.
 - m. The domestic industry has not suffered any injury due to alleged imports. The statements of the domestic industry have been accepted on their face value without applying the principles of objective examination of injury by making due analysis or enquiry from the domestic industry.
 - n. There is no causal link in the current investigation as there was no evidence for the significant price effect by the subject imports on domestic prices and there was no evidence that the domestic industry is experiencing injury due to alleged dumped imports from China.

L.3. Examination by the Authority

148. As regards normal value computation by the cooperating producer/exporter groups, the Authority notes that M/s TracoLegal Advocates & Consultants representing M/s Zhejiang Wankai New Materials Co. Ltd., China, M/s Jiangyin Xingyu New Material Co. Ltd., China, M/s Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd., China and M/s Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd., China have reiterated consideration of FoB price from India as 'CNV' for China. The Authority also notes that MET was not substantiated by the participating exporter/producer by not filing the response to the MET questionnaire. As stated in the disclosure, the option of normal value desired by the producer/exporter is not contained in para 7 and hence the Authority confirms the determination of normal value for the producer/exporter in accordance with the methodology of CNV adopted in the preliminary finding. As regards, the other cooperative producer/exporter i.e. M/s Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd and M/s China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co., Ltd. represented by M/s ELP the Authority notes that they have reiterated their justification for not filing the response by the Group's holding company on the ground that they were not involved in the manufacture of PUC. However, to establish the participating producer/exporter for admissibility of MET, the Authority needs to establish the claim for the same as per the parameters stipulated in para 8 of Annexure 1 of AD Rules wherein para 8(3) stipulated the information

beyond PUC. Due to non-filing of questionnaire for the entire group, the claim of MET by M/s Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd and M/s China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co., Ltd cannot be considered for establishing the MET status. Further, the producer/exporter did not file data on the additional costing information sought through email dated 03.07.2020. At a belated stage on 17.12.2020 the producer/exporter merely reiterated the same response filed earlier which was in fact considered deficient for which additional details were sought. In view of the aforesaid non-cooperation by the producer/exporter, the Authority has not considered granting MET status to M/s Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd and M/s China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co., Ltd and confirms the methodology for CNV as adopted in the preliminary finding.

149. As regards submission regarding injury to domestic industry the Authority has examined all injury parameters in accordance with Annexure 2 of AD Rules. The Authority reiterates its determination on material injury and threat of injury as stated in the preliminary finding and in paras 119 to 128 of this finding.

150. With regard to confidentiality and source of information, Authority notes as follows;

- i. As regards information on funds raised, R&D etc, Authority notes that domestic industry has not claimed any amount dedicated to product under consideration on these accounts, and has relied upon their annual report.
- ii. As regards production and sales information on other Indian producers, the petitioner has provided this information based on their market intelligence, information on gross Indian production was disclosed to all interested parties. None of the interested parties have provided any information to demonstrate that the information given by the petitioner is incorrect.
- iii. The Authority further notes the submission by M/s ELP regarding disclosure of NIP and holding that since it has provided the range of injury margin and the export price of cooperative producer/exporter has also been disclosed to the cooperative producer/exporter, the issue raised by the producer/exporter stands addressed. The Authority has provided treatment of confidentiality claim to all interested parties as per its consistent practice.

151. As regards sorting of DGCIS's import data, the Authority notes that the analysis has been done mainly on description of the product. However, certain transactions where the price is noted to be both as abnormally low or high have also been excluded. This exclusion in fact lowers the volume of import. Further, this filtering in no way impacts the specific parameters evaluated for the cooperative producers/exporters. Since the exclusion done by filtering of PUC is only of low quantum, the Authority notes that it also does not impact the overall injury assessment.

152. As regards to the request of name change by Tracolegal, the Authority accepted the same as Wankai New Materials Co., Ltd. (erstwhile Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd).

CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

153. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Embassies of the subject countries, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of Anti-Dumping Duty is required to offset dumping the injury. Therefore, Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

154. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from China PR.

Duty – Table

S. No.	HS Code	Description of goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	China PR	Jiangyin Chengold Packaging Materials Co., Ltd. / China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co., Ltd	146.11	MT	USD
2.	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	China PR	Wankai New Materials Co., Ltd.	15.54	MT	USD
3.	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	China PR	Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd. / Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. / Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd.	60.92	MT	USD
4.	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	China PR	Any producer other than producers mentioned at S.No. 1, 2 & 3 above.	200.66	MT	USD
5.	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	China PR	Any country other than China	Any	200.66	MT	USD
6.	39076190 and 39076990	“Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”	Any country other than China	China PR	Any	200.66	MT	USD

155. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority